

जिसने बदली दिशा जगत् की,
धरती और आकाश की ।
जय बोलो ऋषि दयानन्द की,
जय सत्यार्थ प्रकाश की ॥

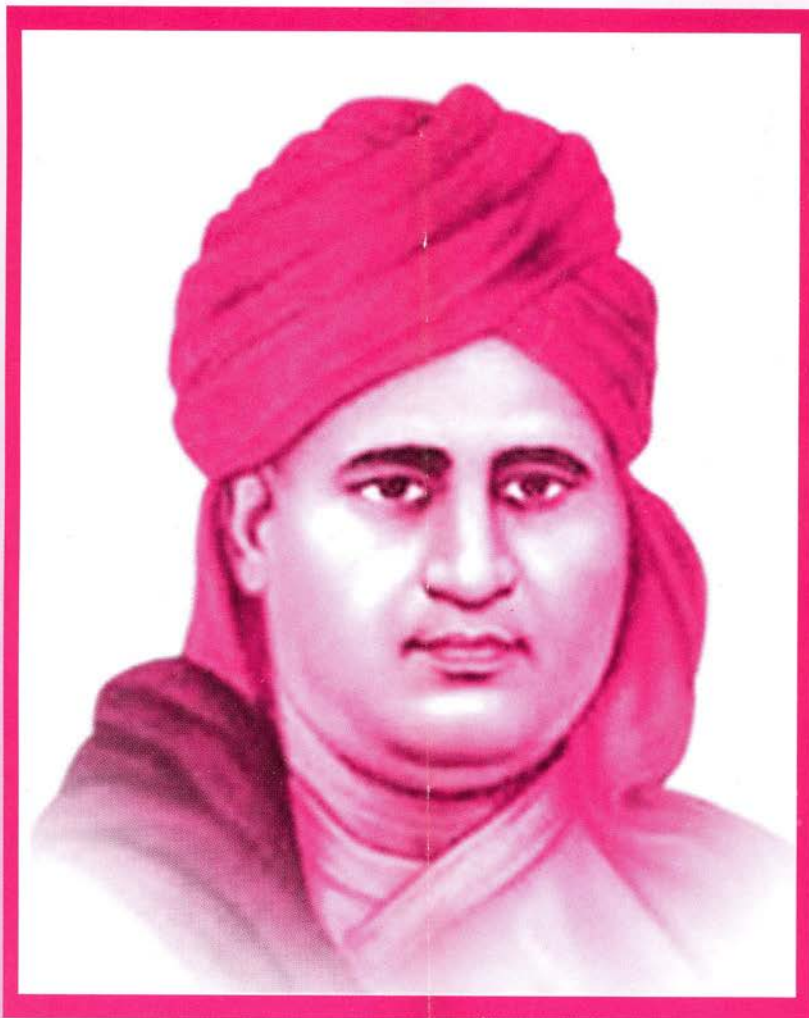
॥ ओ३म् ॥

वर्ष - ५९ अंक - १०
मूल्य : एक प्रति १० रुपये
वार्षिक : (१००) रु०
आजीवन - (१०००) रु०
प्रतिमास ता० १३ को प्रकाशित

आर्य-संसार

आश्विन-कार्तिक : सम्वत् २०७३ वि०

अक्टूबर - २०१६



महर्षि दयानन्द सरस्वती

आर्य समाज कलकत्ता की गतिविधियाँ

रक्तदान शिविर

आर्य समाज कलकत्ता (युवा शाखा) द्वारा अमर शहीद सरदार भगत सिंह के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में रविवार २५.०९.२०१६ को आर्य समाज कलकत्ता के सभागार में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें कुल ३७ लोगों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया।

शोक समाचार

आर्य समाज कलकत्ता के पूर्व प्रधान, श्री मनीराम आर्य जी की धर्मपत्नी श्रीमती शशी आर्या का निधन २२.०९.२०१६ की मध्यरात्रि में ६० वर्ष की आयु में हो गया है। आप एक कुशल गृहणी व धर्मनिष्ठ आर्य महिला थीं।

आर्य समाज कलकत्ता के दिनांक ०२.१०.२०१६ के रविवारीय साप्ताहिक सत्संग पर एकत्रित समस्त आर्य जनों ने हार्दिक सन्वेदना प्रकट करते हुए दिवंगत आत्मा की शान्ति एवं सद्गति तथा शोक-सन्तप्त परिवार को वियोग जन्य दुःख को सहन करने की क्षमता प्रदान करने के लिए परमपिता से दो मिनट का मौन धारण कर प्रार्थना की।

शोक-प्रस्ताव

१. आर्य समाज कलकत्ता के सदस्य एवं कार्यालय प्रबन्धक श्री राधेश्याम अग्रहरि के चचेरे भाई श्री ओमप्रकाश अग्रहरि का निधन लगभग ६२ वर्ष की आयु में हृदय गति रुक जाने के कारण दिनांक २७.७.१६ को हो गया है।

२. आर्य समाज कलकत्ता के प्रधान श्री सुरेश चन्द जायसवाल के चचेरे भाई श्री शम्भूनाथ जायसवाल का निधन दिनांक ३.७.१६ को लगभग ८२ वर्ष की आयु में हो गया है।

३. साहित्य अकादमी तथा पद्मविभूषण आदि पुरस्कारों से सम्मानित महान लेखिका महाश्वेता देवी का निधन दिनांक २८.७.१६ को लगभग ९१ वर्ष की आयु में हो गया है।

४. आर्य समाज कलकत्ता की कर्मठ कार्यकर्ता एवं आर्य स्त्री समाज कलकत्ता की पूर्व प्रधाना श्रीमती रामदुलारी जायसवाल का निधन दिनांक १०.९.१६ को हो गया है।

५. आर्य स्त्री समाज कलकत्ता की पूर्व प्रधाना श्रीमती सुमना आर्या के पति श्री वीरेन्द्र गुप्ता जी का निधन दिनांक १४.९.२०१६ के रात्रि ११.१५ बजे हो गया है।

आर्य समाज कलकत्ता के रविवारीय साप्ताहिक सत्संग पर एकत्रित समस्त आर्य जन शोक समाचार पर हार्दिक शोक प्रकट किया तथा परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए दिवंगत आत्माओं को शान्ति एवं सद्गति प्रदान करने तथा शोक सन्तप्त परिवार को वियोग जन्य दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की।





ओ३म्

आर्य-संसार

वर्ष ५९ अंक — १०
आश्विन-कार्तिक २०७३ वि०
दयानन्दाब्द १९२
सृष्टि सं० १,९६,०८,५३,११७
अक्टूबर — २०१६



आद्य सम्पादक
प्रो० उमाकान्त उपाध्याय
(स्मृति शेष)

सम्पादक :
श्री राजेन्द्र प्रसाद जायसवाल
सहयोगी संपादक :
श्रीमती सरोजिनी शुक्ला
श्री सत्यप्रकाश जायसवाल
पं० योगेशराज उपाध्याय
शुल्क : एक प्रति १० रुपये
वार्षिक : १०० रुपये
आजीवन : १००० रुपये

इस अंक की प्रस्तुति

- | | |
|---|-------------------------------|
| १. आर्य समाज कलकत्ता की गतिविधियाँ | २ |
| २. इस अंक की प्रस्तुति | ३ |
| ३. प्रभु की छाया (४५) | वेद-वीथिका से ४ |
| ४. स्वामी जी का स्वकथित जीवन-चरित्र | पं० लेखराम द्वारा संकलित ७ |
| ५. मन्त्रगीत — “जय वैश्वानर” | १२ |
| ६. देव दयानन्द के प्रति दीवानगी की बानगी | देवनारायण भारद्वाज १३ |
| ७. यह चोला बड़ा अनमोला कि वेखीं किधरे दाग न लगे | प्रो० ओमकुमार आर्य १५ |
| ८. पराधीन भारत में आर्यत्व का जागरण | ‘पं० उम्मेद सिंह, ‘विशारद’ १८ |
| ९. क्या भारत में लोकतन्त्र है ? | सत्यदेव शर्मा २१ |

आर्य समाज कलकत्ता

१९, विधान सरणी, कोलकाता-७०० ००६

दूरभाष : २२४१-३४३९

email : aryasamajkolkata@gmail.com

‘आर्य संसार’ में प्रकाशित लेखों का उत्तरदायित्व सम्बन्धित लेखकों पर है ।
किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र कोलकाता ही होगा ।

प्रभु की छाया

अग्ने यं यज्ञमध्वरं विश्वतः परिभूरसि ।

स इद् देवेषु गच्छति ॥

ऋ० १-१-४-४

शब्दार्थ :-

अग्ने	=	हे परमेश्वर	यम्	=	जिसको
यज्ञम्	=	यज्ञ को	अध्वरम्	=	हिंसा रहित को
विश्वतः	=	सब ओर से	परिभूरसिः	=	आश्रय देते हो
स इत्	=	निश्चय वही	देवेषु	=	देवताओं को
गच्छति	=	पाता है			

भावार्थ :- हे परमेश्वर देव ! आप कुटिलता-हिंसा रहित यज्ञ को आश्रय देते हैं और वही दिव्य फल दाता होता है ।

विचार विन्दु :

१. यज्ञ क्या है ? ।
२. अध्वरयज्ञ का आशय ।
३. प्रभु की छाया का स्वरूप ।
४. दिव्यफल कैसे मिलता है ।

व्याख्या

इस मंत्र में परमेश्वर के आश्रय का वर्णन है । मन्त्र कहता है कि हे परमेश्वर ! आप हिंसा रहित, कुटिलता रहित यज्ञों को अपना आश्रय देते हैं । मन्त्र कहता है कि जो यज्ञ अकुटिल हैं, जिन यज्ञों में हिंसा नहीं है, दूसरे का उपकार है, परमेश्वर उन यज्ञों को अपने आश्रय में ले लेते हैं । वस्तुतः मनुष्य स्वयं यज्ञमय है । उपनिषद् में कहा गया है—“क्रतुमयोऽयं पुरुषः” ! यह मनुष्य स्वयं ही यज्ञमय है । हमारे दो प्रकार के कार्य हैं—जो यज्ञ नहीं है । जब हम अपने स्वार्थ के लिये धन कमाते हैं, भोजन करते हैं, औषध-उपचार करते हैं, तो ये स्वार्थी कार्य यज्ञहीन कार्य हैं । किन्तु इन्हीं कार्यों को जब हम परोपकार के लिये, संसार के कल्याण के लिये करते हैं, तो ये यज्ञ हो जाते हैं । हम भोजन करते हैं, विश्राम भी करते हैं, औषधि भी करते हैं, व्यवसाय करते हैं या धन कमाते हैं । जब हमारे कार्यों का उद्देश्य दूसरों का उपकार करना होता है तो ये यज्ञ-कार्य हो जाते हैं और इस परोपकारी कार्य को परमेश्वर अपने आश्रय में ले लेते हैं । यज्ञ हो या परोपकार हो, ये धन से भी होते हैं । जब हम अपने धन से अन्न-वस्त्र दें तो यह

द्रव्यमय-यज्ञ हैं। किन्तु जब हम अपने ज्ञान से, अपने स्वाध्याय से दूसरों का उपकार करें तो यह ज्ञानमय यज्ञ है। श्रीकृष्ण कहते हैं कि द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञानमय यज्ञ श्रेष्ठ होता है। गीता में कहा है —

‘श्रेयान्द्रव्यमयात् यज्ञाज्ज्ञानयज्ञः परन्तप ।

सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते ॥’ (गीता ४-३३)

द्रव्यमय यज्ञों की अपेक्षा ज्ञानमय यज्ञ बढ़ चढ़ कर है। हे परन्तप अर्जुन ! अन्त में चलकर सारे कर्मों का समापन ज्ञान में ही होता है, बिना ज्ञान के कोई कर्म हो ही नहीं सकता।

अब प्रश्न यह होता है कि द्रव्यमय-यज्ञ से ज्ञानमय यज्ञ बढ़कर क्यों हैं ? जब मनुष्य द्रव्य से परोपकार करता है, पौशाला (प्याऊ) चलाता है, प्यासों को पानी पिलाता है, गौशाला चलाता है, गायों की रक्षा करता है, धर्मशाला चलाता है, लोगों को आश्रय देता है, भूखों को अन्न, वस्त्र, औषधि यह सब कुछ द्रव्यमय यज्ञ हैं। द्रव्यमय यज्ञ के बदले में वही मिलेगा जो हमने दिया है। पानी, पशु भी पीते हैं, औषधि पशुओं को भी चाहिए, भोजन और छाया का आश्रय पशुओं को भी चाहिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि द्रव्य-दान एक ऐसा पुण्य कार्य है जिसका प्रतिदान मनुष्य-जन्म के अतिरिक्त अन्य योनियों में भी मिल सकता है। किन्तु हम जब ज्ञान-यज्ञ करते हैं तो इसका प्रतिदान ज्ञान के रूप में मनुष्य-योनि में ही मिलेगा। ज्ञान-यज्ञ भी दो तरह का होता है—

(१) हम स्वयं ज्ञान-दान करें। व्यवसाय की दृष्टि से नहीं धन कमाने की दृष्टि से नहीं, हमारा दृष्टिकोण हो कि हमारे विद्यार्थी, हमारे श्रोता इससे लाभ उठावें, उन्हें ज्ञान मिले। आज अध्यापक भी ज्ञान-दान की अपेक्षा धन बटोरने में अधिक रुचि रखते हैं। यह न विद्या-दान है न यज्ञ-कर्म। यह तो विद्या की बिक्री है और इसे परमेश्वर का आश्रय नहीं मिलता। कई कथावाचक भी हैं जो रुपयों के लिए कथाएँ करते हैं। वे पहले से गायकों-नर्तकों की तरह अपनी फीस तय कर लेते हैं। यह ज्ञान-यज्ञ नहीं है। न इसे प्रभु का आश्रय मिलता है।

(२) ऐसे बहुत लोग हैं जो स्वयं ज्ञान-दान नहीं कर सकते। वे गुरुकुल, ऋषि-कुल, विद्यालय, पाठशाला के रूप में ज्ञान-दान कर सकते हैं। ऐसे सम्पन्न लोग कथाओं का आयोजन करा कर लोगों को ज्ञान-दान दिला सकते हैं। अतः जो धनवान स्वयं नहीं पढ़ाते वे भी विद्यार्थियों के पढ़ने की व्यवस्था करके, पुस्तकों का दान करके और विद्यालय चलाकर ज्ञान-यज्ञ करते हैं।

सारांश यह हुआ कि द्रव्य-यज्ञ का प्रतिदान मनुष्य योनि में भी मिलता है और मनुष्य से इतर योनियों में भी मिलता है। ज्ञान-यज्ञ का प्रतिदान केवल मनुष्य योनि में ही मिलता है। अतः ज्ञान-यज्ञ की महिमा अधिक है।

मंत्र में अन्तिम बात यह कही है कि ऐसे परोपकारी पुरुषों को परमेश्वर दिव्य फल का दान

करते हैं। जब कोई परोपकार की दृष्टि से कोई अच्छा काम करता है, भूखों को भोजन, रोगियों को औषधि और जिज्ञासुओं को ज्ञान दान में दिलाता है तो उसे नाम प्रतिष्ठा के साथ ही एक दिव्य आनन्द का बोध होता है। यह उस परोपकार रूपी यज्ञ का दिव्य-फल दाता को परमेश्वर की ओर से मिलता है। कई बार मनुष्य को धन, नाम, प्रतिष्ठा, सम्मान सभी कुछ मिल जाने पर भी जीवन में आनन्द, शान्ति, सन्तोष आदि नहीं मिलता, सो वे दिव्य फल से वंचित रह गये। जो आनन्द, शान्ति, सन्तोष पा गये, उन पर प्रभु की कृपा, छाया हो गई।

अध्वर यज्ञ—मंत्र में यज्ञ का एक विशेषण 'अध्वर' है। ध्वर है हिंसा का कार्य। 'अध्वर' वह कार्य है जिसमें मनसा, वाचा, कर्मणा, किसी प्रकार से हिंसा न हो। यज्ञ करने वाले यजमान और यज्ञ कराने वाले पुरोहित तथा व्यवस्था करने वाले सहयोगी, सभी इस बात का ध्यान रखें कि चींटी जैसे कृमि-कीटों की भी हिंसा न हो। यज्ञ की समिधाएँ शुद्ध, स्वस्थ, कृमि-कीटों से मुक्त, यज्ञकुण्ड और यज्ञवेदी पर भी कोई हिंसा न हो और सामग्री में पड़ने वाले जौ, तिल, औषधियाँ आदि कृमि-कीट युक्त न हों।

'अध्वर' का एक और भाव है कि यजमान मन से भी किसी का अनभल, अहित-चिन्तन न करे। हिंसा केवल हत्या करना ही नहीं है। किसी से द्रोह करना, बुरा, अनिष्ट सोचना, सबकी गिनती हिंसा में ही है। अतः यज्ञकार्य में प्राणीमात्र से द्वेष, दाह की भावना से अलग होकर मन, वाणी, कर्म से ऐसा कुछ न किया जाय कि किसी को किसी भी प्रकार का कष्ट हो।

'अध्वर' यज्ञ का विशेषण है। इस भावना को भुलाकर राक्षसों, तान्त्रिकों, वाम-मार्गियों ने यज्ञ में पशुओं की बलि, चर्बी आदि की आहुति देना आरम्भ कर दिया। यह सब अवैदिक मान्यताएँ हैं। मध्यकाल में तो मीमांसकों का ऐसा भी दल बन गया जो अश्वमेध, गोमेध, अजामेध आदि यज्ञों के नाम से घोड़े, भैंसे, गाय, बकरे, सबकी बलि देने लगे और खुलकर यज्ञों में हिंसा का प्रचार हो गया। ध्यान रखना चाहिए कि यह सब तांत्रिक, राक्षसी वाम-मार्गी कार्य हैं—इनका आदेश या समर्थन वेदों में नहीं है।

यज्ञ को प्रभु का आश्रय :—मन्त्र में कहा हुआ है कि कुटिलता, हिंसा रहित यज्ञ को प्रभु का आश्रय मिलता है। प्रभु का आश्रय तो हर अच्छे कार्य में मिलता ही है। यहाँ विशेष समझने की बात यह है कि यज्ञ करने वाले को परमेश्वर की ओर से उत्साह और प्रेरणा मिलती है। प्रत्येक अच्छे कार्य में परमेश्वर कार्य करने वाले को उत्साह, प्रेरणा, बल देते हैं। ऋषि, मुनि यह सिखाते हैं कि अच्छे कार्यों में जो आत्मबल, सत्प्रेरणा मिलती है, वह परमेश्वर की ओर से आती है। सिद्धान्त रूप में "स धीनाम् योगमिन्विति" अर्थात् प्रभु की ओर से कर्त्ता की बुद्धि, परमेश्वर के शाश्वत नियमों के अनुकूल हो जाती है। यह ऐसी स्थिति है कि काम करने वाले की बुद्धि ईश्वर के नियमों में समन्वित हो जाती है और शुभ कार्यों का कर्त्ता परमेश्वर की प्रेरणा से अपने कार्यों में सफल हो जाता है।

स्वामी जी का स्वकथित जीवन-चरित्र

प्रथम भाग

अध्याय- २

(सन् १८२४ ई० से १८७५; तदनुसार सं० १८८१ से १९३१ वि० तक)

बचपन : वैराग्य : गृहत्याग व संन्यास

महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वती का जन्म फाल्गुन कृष्ण पक्ष दशमी को गुजरात में संवत् १८८१ में हुआ था । पूरे भारतवर्ष में स्वामी जी का जन्म दिवस मनाया जाता है इसी अवसर पर आर्य समाज कलकत्ता ने निर्णय किया कि पं० लेखराम द्वारा संकलित एवं आर्य महामहोपदेशक कविराज श्री रघुनन्दन सिंह निर्मल द्वारा अनूदित महर्षि स्वामी दयानन्द का जीवन चरित्र धारावाहिक प्रकाशित किया जाय, इसी शृंखला में प्रस्तुत है यह धारावाहिक जीवन-चरित्र — सम्पादक

(गतांक से आगे)

शव को चीर कर नाड़ी-ग्रन्थ की जांच, ऋषि की मौलिकता : असत्य से तीव्र घृणा

इससे यह विचार उत्पन्न हुआ कि पता नहीं यह ठीक भी है या नहीं । इनके ठीक होने में मुझको सन्देह पड़ गया । मैं प्रायः अपने सन्देह निवृत्त करने का प्रयत्न करता रहा परन्तु आज तक मेरे यह सन्देह दूर नहीं हो सके और मुझे इनको दूर करने का कोई अवसर भी प्राप्त न हुआ । एक दिन की बात है कि मुझको अकस्मात् एक शव नदी के ऊपर बहता हुआ मिला । उस समय ठीक अवसर मिला था कि मैं उनकी परीक्षा करता और अपने मन की उन बातों के विषय में जो उन पुस्तकों में लिखी थीं, अपने सन्देह की निवृत्ति करता । अतः उन पुस्तकों को जो मेरे पास थीं एक ओर अपने समीप रखकर वस्त्रों की ऊपर उठा कर मैं दृढ़तापूर्वक नदी में धुसा और शीघ्रता से भीतर जाकर शव को पकड़ कर तट पर लाया । मैंने उसको एक तेज चाकू से, अच्छी प्रकार जैसे मुझसे हो सकता था, काटना प्रारम्भ किया । मैंने हृदय को उसमें से निकाल लिया और ध्यानपूर्वक उसकी परीक्षा की और देखा और हृदय को नाभि से पसली तक काटकर मैंने अपने सामने रखकर देखने का यत्न किया और जो वर्णन पुस्तक में दिया था उससे समता करने लगा और इसी प्रकार सिर और गर्दन के एक भाग को भी काटकर सामने रख लिया । यह जानकर कि इन पुस्तकों और शव में आपस में कोई समानता नहीं मैंने पुस्तकों को फाड़ कर उनके टुकड़े-टुकड़े कर डाले और शव को फेंक कर साथ ही उन पुस्तकों के टुकड़ों को भी नदी में फेंक दिया । धीरे-धीरे उसी समय से मैं यह परिणाम निकालता गया कि वेदों, उपनिषदों, पातञ्जल और सांख्यदर्शन के अतिरिक्त समस्त पुस्तकें, जो विज्ञान और योगविद्या पर लिखी गई हैं, निरर्थक और अशुद्ध हैं ।

गंगातटवर्ती स्थानों का भ्रमण – गंगा नदी के तट पर कुछ दिन और इसी प्रकार फिर कर मैं फिर फर्रुखाबाद पहुँचा और जब कि सरन जी राम से होकर मैं छावनी के पूर्व जाने वाली सड़क से कानपुर को जाने वाला था तो संवत् १९१२ विक्रमी (तदनुसार ५ अप्रैल १८५६) समाप्त हुआ (उस समय आपकी आयु ३२ वर्ष की थी) ।

कानपुर, इलाहाबाद व बनारस में (संवत् १९१३) – अगले पाँच महीनों में मैंने कई बड़े-बड़े स्थान जो कानपुर और इलाहाबाद के मध्य में थे – देखे । भाद्रपद तदनुसार अगस्त मास सन् १८५६ के आरम्भ में रविवार को मैं मिर्जापुर के समीप बनारस में जा पहुँचा, जहाँ एक मास से अधिक काल तक मैं विन्ध्याचल अशोल जी के मन्दिर पर ठहरा । असौज (१५ सितम्बर १८५६ सोमवार) के प्रारम्भ में बनारस पहुँचा और उस स्थान पर जाकर उस गुफा में ठहरा जो बरना (शायद वरुणा-सम्पादक) और गंगा के संगम पर स्थित है और जो उस समय भवानन्द सरस्वती के कब्जे में थी । वहाँ पर कई शास्त्रियों अर्थात् काकाराम, राजाराम आदि से मेरी भेंट हुई वहाँ मैं केवल १२ दिन ही रहा तत्पश्चात् जिस वस्तु की खोज में था उसके लिये आगे को चल दिया ।

अपने दुर्व्यसन की स्वीकारोक्ति तथा उसका परित्याग – १ अक्टूबर सन् १८५६ बुधवार तदनुसार असौज सुदी २ संवत् १९१३ को दुर्गाकोहू के मन्दिर पर जो चांडालगढ़ में स्थित है, पहुँचा । वहाँ मैंने दस दिन व्यतीत किये । वहाँ मैंने चावल खाने बिल्कुल छोड़ दिये और केवल दूध पर अपना निर्वाह करके दिन रात योगविद्या के पढ़ने और उसके अभ्यास में संलग्न रहा । दुर्भाग्य से इस स्थान पर मुझे एक बड़ा व्यसन लग गया अर्थात् मुझको भंग सेवन करने का अभ्यास पड़ गया और प्रायः उसके प्रभाव से मैं मूर्छित हो जाया करता था । एक दिन की बात है जब मैं मन्दिर से निकलकर एक ग्राम की ओर जो चांडालगढ़ के समीप है जा रहा था वहाँ मुझको पिछले दिनों का परिचित मेरा एक साथी मिला । गाँव के दूसरी ओर कुछ दूरी पर एक शिवालय था जहाँ मैंने जाकर रात व्यतीत की । वहाँ जब मैं भंग की मादकता की दशा में मूर्छित पड़ा सोता था तो मैंने एक स्वप्न देखा और वह यह था अर्थात् मुझे ध्यान आया कि मैंने महादेव और उसकी स्त्री पार्वती को देखा । पार्वती महादेव जी से कह रही थी और उनकी बातों का विषय मैं ही था अर्थात् वह मेरे विषय में बातें कर रहे थे । पार्वती महादेव जी से कह रही थी कि अच्छा हो यदि दयानन्द सरस्वती का विवाह हो जावे परन्तु देवता इस बात से विरोध प्रकट कर रहा था । उसने मेरी भंग की ओर संकेत किया अर्थात् भंग का प्रसंग छोड़ा । जब मैं जागा और इस स्वप्न का विचार किया तो मुझे बड़ा दुःख और क्लेश हुआ । उस समय अत्यन्त वर्षा हो रही थी और मैंने उस बरामदे में जो कि मन्दिर के बड़े द्वार के सम्मुख था—विश्राम किया । उस स्थान पर सांड अर्थात् नन्दी देवता की मूर्ति खड़ी हुई थी । अपने वस्त्रों और पुस्तक को उसकी पीठ पर रखकर मैं बैठ गया और अपनी बात को सोचने लगा । ज्योंही अकस्मात् मैंने उस मूर्ति के भीतर की ओर दृष्टि डाली तो मुझको एक मनुष्य उसमें छुपा हुआ दिखाई पड़ा । मैंने अपना हाथ उसकी ओर फैलाया जिससे वह बहुत डर गया क्योंकि मैंने देखा कि उसने झटपट छलांग मारी और छलांग मारते

ही गांव की ओर सरपट दौड़ गया। तब मैं उसके चले जाने पर उस मूर्ति के भीतर घुस गया और शेष रात वहीं सोता रहा। प्रातःकाल एक वृद्धा स्त्री वहां पर आई और उसने उस सांड देवता की पूजा की जिस अवस्था में कि मैं भी उसके भीतर ही बैठा हुआ था। उसके थोड़े समय पश्चात् वह गुड़ और दही लेकर लौटी और मेरी पूजा करके और मुझको भूल से देवता समझ कर उसने कहा कि आप इसको स्वीकार कीजिये और कुछ इसमें से सेवन कीजिये। मैंने भूख होने के कारण उसको खा लिया। दही चूँकि बहुत खट्टा था इसलिये भंग का मद उतारने में अच्छी औषधि बन गया। उससे मद जाता रहा जिससे मुझको बड़ा विश्राम मिला (आगे को भंग का सेवन बिल्कुल त्याग दिया)।

योगियों की खोज में नर्मदा के स्रोत की ओर, हितैषियों की ओर से चेतावनी परन्तु अपने निश्चय पर अटल चैत सुदी संवत् १९१४ वि०—अर्थात् २६ मार्च सन् १८५७ बृहस्पतिवार को वहाँ से आगे चल पड़ा और उस ओर प्रयाण किया जिधर पहाड़ियां थीं और जिधर नर्मदा नदी निकलती है अर्थात् उसके उद्गमस्थान की ओर चला (यह नर्मदा की दूसरी यात्रा थी।) मैंने कभी एक बार भी किसी से मार्ग नहीं पूछा प्रत्युत दक्षिण की ओर यात्रा करता हुआ चला गया। शीघ्र ही मैं एक ऐसे सुनसान और निर्जन स्थान में पहुँच गया जहाँ चारों ओर बहुत घने जंगल थे और वहाँ जंगल में अनियमित अन्तर पर झाड़ियों के मध्य में बहुत से स्थानों पर क्रमरहित भग्न और सुनसान झोपड़ियां थीं और कहीं-कहीं पृथक्-पृथक् ठीक झोपड़ियां भी दिखाई पड़ती थीं। इन झोपड़ियों में से एक झोपड़ी पर मैंने थोड़ा सा दूध पिया और फिर आगे की ओर चल दिया परन्तु इससे आगे कोई डेढ़ मील के लगभग चलकर मैं फिर एक ऐसे स्थान पर पहुँचा जहाँ से कोई बड़ा मार्ग दिखलाई न देता था और मेरे लिये यही उचित प्रतीत होता था कि उन छोटे-छोटे मार्गों में से (जिनको मैं न जानता था कि कहाँ जाते हैं) किसी एक को ग्रहण करूँ और उस ओर चल दूँ। शीघ्र ही मैं एक निर्जन और सुनसान जंगल में घुस गया। उस जंगल में बहुत से बेरियों के वृक्ष थे परन्तु घास इतना घना और लंबा-लंबा उगा हुआ था कि मार्ग बिल्कुल दिखलाई न देता था। इस स्थान पर मेरा सामना एक बड़े काले रीछ से हुआ। वह रीछ बड़ी तीव्र और भयानक आवाज से चीखा और चिंघाड़ मार कर अपनी पिछली टांगों पर खड़ा होकर मुझे खाने के लिए अपना मुख खोला। मैं कुछ समय तक निश्चेष्ट खड़ा रहा परन्तु तत्पश्चात् मैंने शनैः शनैः अपने सोटे को उसकी ओर उठाया और वह रीछ उससे डर कर उल्टे पांव लौट गया। उसकी चिंघाड़ और गर्ज इतने जोर की थी कि वह गांव वाले जो मुझको अभी मिले थे दूर से उसका शब्द सुनकर और लड्ड लेकर शिकारी कुत्तों सहित मेरी सहायता करने के लिये उस स्थान पर आये। उन्होंने मुझको इस बात की प्रेरणा देने का यत्न किया कि मैं उनके साथ चलूँ। उन्होंने कहा कि यदि इस जंगल में तुम तनिक भी आगे बढ़ोगे तो बहुत सी विपत्तियों का तुमको सामना करना पड़ेगा और पहाड़ियों व वनों में बहुत से भयंकर क्रोधी और जंगली पशु अर्थात् रीछ, हाथी और शेर आदि तुमको मिलेंगे। मैंने उनसे निवेदन किया कि आप मेरे कुशलक्षेम की कोई चिन्ता न करें क्योंकि मैं सकुशल और सुरक्षित हूँ। चूँकि मेरे मन में इस बात की चिन्ता थी कि किसी प्रकार नर्मदा के उद्गमस्थान को

देखूँ इसलिये यह समस्त भय और आशंकाएँ मुझको मेरे इस निश्चय से नहीं रोक सकती थीं । जब उन्होंने देखा कि उनकी आशंकायुक्त बातें मेरे मन में कुछ भय उत्पन्न नहीं करतीं और मैं अपने निश्चय में पक्का हूँ, तब उन्होंने मुझे एक सोटी दे दी जो कि मेरे सोटे से बड़ी थी । ताकि मैं उससे अपने को बचाऊँ परन्तु मैंने उस सोटी को तुरन्त अपने हाथ से फेंक दिया ।

विकट वन में रेंग कर चलना तथा लहलुहान - उस दिन मैं निरन्तर तब तक यात्रा करता हुआ चला गया जब तक संसार में चारों ओर अन्धकार न छा गया । कई घंटों तक मुझको मनुष्य की बस्ती का तनिक-सा भी चिह्न न मिला और दूर तक कोई गांव मुझे दिखाई नहीं दिया और न किसी झोंपड़ी पर ही दृष्टि पड़ी और न ही कोई मनुष्य जाति मेरी आँखों के सामने आई परन्तु जो वस्तुएँ साधारणतया मेरे मार्ग में आईं, वे वह वृक्ष थे जो प्रायः टूटे हुए पड़े थे । जिनकी जड़ों को मतवाले हाथियों ने तोड़कर और उखेड़ कर वहाँ फेंक दिया था । उसके थोड़ी ही दूर आगे बढ़कर मुझको एक बहुत ही बड़ा जंगल दिखायी दिया कि जिसमें घुसना भी कठिन था अर्थात् इतने घने बेर आदि के कांटेदार वृक्ष वहाँ पर लगे हुए थे कि उनके अन्दर से निकल कर जंगल और वन में पहुँचना बहुत कठिन ही नहीं प्रत्युत असम्भव दिखाई देता था । पहले पहल तो मुझको उनके अन्दर से निकलना असम्भव दिखाई दिया परन्तु तत्पश्चात् पेट के बल घुटनों के सहारे मैं शनैः शनैः सर्प के समान उन वृक्षों में से निकला और इस प्रकार उस रुकावट और कठिनाई को दूर किया और उस पर विजय प्राप्त की । यद्यपि इस महान् विजय के प्राप्त करने में मुझको अपने वस्त्रों के टुकड़ों का बलिदान करना पड़ा और कुछ बलिदान मुझको अपने शरीर के माँस का भी करना पड़ा क्योंकि उसके अन्दर से क्षत विक्षत होकर निकला । इस समय पूर्ण अन्धकार छाया हुआ था और अन्धकार के अतिरिक्त और कुछ दिखाई न पड़ता था । यद्यपि मार्ग बिल्कुल रुका हुआ था और दिखाई न पड़ता था परन्तु तब भी मैं अपने आगे बढ़ने के निश्चय को छोड़ नहीं सकता था और इस आशा में था कि कोई मार्ग निकट ही आयेगा । अतः मैं बराबर आगे को चलता ही गया और बढ़ता ही रहा यहाँ तक कि मैं एक ऐसे भयंकर स्थान में घुस गया कि जहाँ चारों ओर ऊँची-ऊँची चट्टानें और ऐसी-ऐसी पहाड़ियाँ थीं कि जिनके ऊपर बहुत घनी वनस्पति और पादपादि उगे हुए थे । परन्तु इतना अवश्य था कि बस्ती के वहाँ कुछ-कुछ चिह्न और लक्षण पाये जाते थे । शीघ्र ही मुझको कुछ झोंपड़ियाँ और कुछ कुटियाएँ दिखाई पड़ीं जिनके चारों ओर गोबर के ढेर लगे हुए थे और शुद्ध जल की एक छोटी नदी के तट पर बहुत सी बकरियाँ भी चर रही थीं और उन झोंपड़ियों और टूटे-फूटे घरों के द्वारों और दराज़ों में से टिमटिमाता हुआ प्रकाश दिखाई पड़ता था जो चलते हुए यात्री को स्वागत और बधाई की आवाज लगाता प्रतीत होता था । मैंने वहाँ एक बड़े वृक्ष के नीचे जो एक झोंपड़ी के ऊपर फैला हुआ था, रात व्यतीत की और प्रातःकाल उठकर मैं अपने घायल चरणों और हाथ और छड़ी को नदी के पानी से धोकर अपनी उपासना तथा प्रार्थना करने के लिए बैठने को ही था कि इतने में ही किसी जंगली जन्तु के गर्जने की-सी ध्वनि मेरे कान में आई । यह ध्वनि टमटम की ऊँची ध्वनि थी । थोड़े ही समय पश्चात् मैंने एक बड़ी सवारी अथवा जलूस आता हुआ देखा । उसमें बहुत से स्त्री, पुरुष और बच्चे थे जिनके पीछे बहुत सी गौएँ और बकरियाँ थीं जो

एक झोंपड़ी या घर से निकले थे। सम्भवतः यह किसी धार्मिक उत्सव की प्रथा पूरी करने के लिये आये थे जो रात को हुआ करता है। जब उन्होंने मेरी ओर देखा और मुझको उस स्थान पर एक अपरिचित जाना तो बहुत लोग मेरे चारों ओर इकट्ठे हो गये और अन्त में एक वृद्ध मनुष्य ने आगे बढ़कर मेरे से पूछा कि तुम कहाँ से आये हो ? मैंने उन सबसे कहा कि मैं बनारस से आया हूँ और अब मैं नर्मदा नदी के उद्गम स्थान की ओर यात्रा के लिये जा रहा हूँ। इतना पूछकर वह सब मुझे अपनी उपासना में संलग्न छोड़कर चले गये। उनके जाने के आधा घंटा पश्चात् एक उनका सरदार दो पहाड़ी मनुष्यों सहित मेरे पास आया और एक ओर पार्श्व में बैठ गया। वह वास्तव में उन सबकी ओर से एक प्रतिनिधि के रूप में मुझको अपनी झोंपड़ियों में बुलाने के लिये आया था परन्तु पूर्व की भांति मैंने अबके भी उनकी इस कृपा को स्वीकार नहीं किया क्योंकि वे सब मूर्तिपूजक थे (इसलिये स्वामी जी ने उनके पूजा के कार्य में सम्मिलित होना पाप समझा और अस्वीकार कर दिया)। तब उसने मेरे समीप अग्नि प्रज्वलित करने की आज्ञा अपने मनुष्यों को दी और उसने दो पुरुषों को नियत किया कि रात भर मेरी रक्षा करते हुए जागते रहे। जब मुझसे उसने मेरे खाने के विषय में पूछा और मैंने उसको बताया कि मैं केवल दूध पीकर निर्वाह करता हूँ तो उस कृपालु सरदार ने मुझसे मेरा तूबा मांगा और उसको लेकर अपनी झोंपड़ी की ओर गया और वहाँ उसने उसको दूध से भर कर मेरे पास भेज दिया। मैंने उसमें से उस रात्रि थोड़ा सा दूध पिया। वह फिर मुझको दो रक्षकों के निरीक्षण में छोड़कर लौट गया। उस रात मैं बड़ी गहरी निद्रा में सोया और सूर्योदय तक सोता रहा। तत्पश्चात् उठकर अपने सन्ध्यादि से निवृत्त होकर मैं यात्रा के लिये उद्यत हुआ। सारांश यह कि नर्मदा के उद्गमस्थान से लौटकर मैं विशेष विद्याप्राप्तार्थ मथुरा में आया। नर्मदा तट पर तीन वर्ष तक यात्रा की और भिन्न-भिन्न महात्माओं से सत्संग करता रहा।

तीन वर्ष के नर्मदा-भ्रमण के पश्चात् मथुरा में आगमन — (संवत् १९१७ वि०) — मथुरा में एक संन्यासी सत्पुरुष मुझे गुरु मिले उनका नाम विरजानन्द स्वामी है। यह पहले अलवर में थे। उनकी आयु ८१ वर्ष की थी। उनको वेद शास्त्रादि तथा आर्ष ग्रन्थों में बहुत रुचि थी। वे दोनों आँखों से अन्धे थे और उनके उदर में सदा शूल का रोग रहता था। उनको आधुनिक कौमुदी शेखरादि ग्रन्थ अच्छे नहीं लगते थे। वह भागवतादि पुराणों का तो बहुत ही तिरस्कार करते थे। समस्त आर्ष ग्रन्थों पर उनकी बहुत ही भक्ति थी। आगे जब उनका परिचय हुआ तब उनके तीन वर्ष में व्याकरण आता है ऐसा कहने पर मैंने उनके पास पढ़ने का निश्चय किया (संवत् १९१७ तदनुसार सन् १८६० ई० में)।

मथुरा के अमरलाल जोशी को कभी न भूलूंगा — मथुरा में एक भद्रपुरुष अमरलाल नाम का था। उसने भी जब मैं विद्याध्ययन करता था, उस समय जो मेरे पर उपकार किये हैं उनको मैं कभी न भूलूंगा। पुस्तकों की सामग्री, खाने-पीने का प्रबन्ध उसने बहुत ही उत्तम मेरा कर दिया। उसे जब कहीं बाहर रोटी खाने को जाना होता तो प्रथम मुझको घर में बना कर खिलाता फिर आप बाहर जाता। इसी प्रकार वह पुरुष बहुत ही उदारचित था। संवत् १९१९ तक मथुरा में रहा अर्थात् सन् १८६२ के अन्त तक।

(क्रमशः...)

“जय वैश्वानर”

बन नर - नायक लख वैश्वानर ।

जय वैश्वानर ! जय वैश्वानर ॥

सिद्धान्त सत्य प्रिय जीवन हो ।

तन स्वस्थ शान्त सुन्दर मन हो ।

उपयुक्त न्याय गति उन्नति से,

शुभ श्वेत शुद्ध जिसका धन हों ।

संगति की हो रीति रम्यतर ।

जय वैश्वानर ! जय वैश्वानर ॥१॥

हर ओर बिखरता श्रुति-प्रकाश ।

हर ओर हर्ष का हो निवास ।

प्रभु सत्य सम्पदा ज्योतिष पति,

हर ओर बढ़ायें समुल्लास ।

द्वेष रहित हो प्रीति परस्पर ।

जय वैश्वानर ! जय वैश्वानर ॥२॥

ध्रुव धर्म मिलें घृत धर्म मिलें ।

विज्ञान प्रगति के मर्म खिलें ।

परोपकारक सर्वोदय के,

श्रुतियों-कृतियों के कर्म फलें ।

कीर्तिज्योति हो नीति निरन्तर ।

जय वैश्वानर ! जय वैश्वानर ॥३॥

स्रोत — ऋतावानं वैश्वानरमृतस्य ज्योतिष्यतिम् ।

अजस्रं धर्ममीमहे ॥ अथर्व० ६.३६.१॥

देव दयानन्द के प्रति दीवानगी की बानगी

— देवनारायण भारद्वाज

सप्ताह-दर-सप्ताह के अन्तर से दूरभाष पर एक सन्देश आता रहा था — मैं आपसे मिलकर कुछ आवश्यक चर्चा करना चाहता हूँ। शर्मा जी से मिलकर किसे प्रसन्नता न होगी ? जिन्होंने अपने अधीन कोतवाली की रिक्त पड़ी भूमि पर राष्ट्र-वन्दना भवन स्थापित कर दिया। जिसके अन्तर्गत भव्य यज्ञशाला, पुस्तकालय, मन्त्र-स्तम्भ बना दिये। साथ ही शहीद वाटिका, महर्षि दयानन्द मुख्य द्वार, पं० रामप्रसाद बिस्मिल द्वार एवं अमर शहीद अशफाक उल्ला खां द्वार दर्शनीय बना दिये। आसपास के विद्यालयों के छात्र-छात्रायें यहां पर भ्रमण पर आते और ज्ञान वर्द्धन करते हैं। उन्होंने राष्ट्र वन्दना भवन के उद्घाटन समारोह को ऐतिहासिक बना दिया। प्रादेशिक पुलिस महानिदेशक ने इसका उद्घाटन किया, तब सर्वधर्म गुरुओं ने सम्मिलित होकर सर्व सम्प्रदाय समभाव की भूमिका बना दी। शर्मा जी का कार्यक्षेत्र बदलते रहने के कारण राष्ट्र वन्दना भवन की पृष्ठभूमि राष्ट्र वन्दना मिशन के उच्च स्तर की ओर अग्रसर हो गयी। वे बागपत जनपद में पहुँचे तो वहाँ के मुख्य चतुष्पथ पर राष्ट्र-बलिदानियों की प्रतिमायें खड़ी करा दीं और उसका नाम पड़ गया राष्ट्र-वन्दना चौक, जो जनपद की गतिविधियाँ का केन्द्र बन गया।

राष्ट्र-वन्दना की भावना को दृढ़ बनाने के लिए शर्मा जी ने बलिदानियों की तथ्यपरक चित्रावलियाँ सम्बन्धित कारागारों व फाँसीघरों के अभिलेखों के छाया चित्र व जीवन परिचय संग्रह करके विस्तृत ग्रन्थ 'युग के देवता' नामक अनुसंधान प्रकाशित कर दिया। यही नहीं सरदार भगत सिंह, पं० रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खाँ, ठाकुर रोशन सिंह, राजेन्द्र लाहिड़ी तथा चन्द्रशेखर आजाद द्वारा कहे गये सम्वाद एवं गाये गये गीतों को मिलाकर स्वरबद्ध कैसेट-सी.डी. की रचना कर दी। राष्ट्र-वन्दना के चरित्र के दर्शनार्थ एक बड़े व स्थायी चित्र को कलापूर्ण विधि से बनवा दिया, जिसमें चारों ओर अमर शहीदों के मध्य उनके प्रेरणा पुरुष महर्षि दयानन्द सरस्वती के दर्शन करा दिये। अपने कार्यक्षेत्र के महाविद्यालयों में छात्र-छात्राओं के चरित्र निर्माण हेतु कार्यक्रमों को गति प्रदान की। जनपद बुलन्दशहर के उपनगर शिकारपुर में यह कार्यक्रम सिनेमा हाल के मंच पर हुआ, जिसमें अशफाक उल्ला खाँ (अमर शहीद के पौत्र) भी उपस्थित हुए। हिन्दू-मुस्लिम सम्प्रदाय के प्रतिष्ठित जनों ने आदर्श व्यवस्था की थी। पूरा नगर बलिदानियों के रंग में रंगा दिखाई दे रहा था।

इन्हीं शर्मा जी की पद स्थापना पुलिस उपाधीक्षक के पद पर जनपद बुलन्दशहर के डिबाई क्षेत्र में हुई। यहाँ इन्होंने एक विचित्र तीर्थ यात्रा का क्रम जारी कर दिया। यह अपने आरक्षी दल के साथ ब्रह्म मुहूर्त में गश्त करते हुए पावनी गंगा के तट पर स्थित महर्षि दयानन्द स्मारक आश्रम कर्णवास पर पहुँच जाते, वहाँ के मन्त्री श्री गेंदालाल आर्य वहाँ पहले से ही उपस्थित मिलते। आश्रम की स्वच्छता व्यवस्था व अपनी स्नान व्यवस्था के बाद आश्रम यज्ञशाला में सामूहिक यज्ञ करते, मिलकर स्वल्पाहार बनाया जाता, जिसका आस्वादन करते, तब तक इनका राजकीय वाहन आ उपस्थित हो जाता, और शर्मा जी अपने दल के साथ क्षेत्रीय भ्रमण करते हुए अपने मुख्यालय पर लौट आते, और फरियादियों

की पुकार सुनने व उसका निस्तारण करने में व्यस्त हो जाते। कर्तव्य दक्षता के लिए शर्मा जी को राष्ट्र स्तरीय सम्मान प्राप्त हो चुका है।

पैतृक परम्परा की प्राञ्जल परिणति महर्षि दयानन्द के प्रेरणातीर्थ पर प्राप्त कर शर्मा जी अन्तःतृप्ति का आधार बनी। महर्षि दयानन्द अपने जीवन काल में दस बार कर्णवास में प्रवास हेतु आये। महीनों यहां रहे। शास्त्र-शास्त्रार्थ पर विजय प्राप्त की और जहाँ के क्षत्रियों व उनके सम्बन्धी राजपुत्रों ने महर्षि के वेद प्रचार अभियान में अपने प्राणप्रण से सहयोग किया। अपनी आरक्षी सेवा की चरमोपलब्धि पर राजकीय सेवा के साथ आत्मिक सान्त्वना शान्ति प्राप्ति के बाद शर्मा जी ने कोई क्षेत्रीय पद स्वीकार नहीं किया और जनपद मुख्यालय पर कार्यकाल पूर्ण करके सेवा निवृत्त हो गये। स्थानीय लोगों को शर्मा जी तब भी पकड़ में नहीं आते थे, और अब भी नहीं आते हैं, क्योंकि अवसर पाते ही वे देश में भ्रमण पर निकल कर गुणी आर्य मनीषियों से जा मिलते हैं। कभी दूरभाष पर उनसे सम्पर्क किया जाता है तो वे किसी अन्य ही नगर महानगर या प्रदेश से उत्तर देकर अपनी उपस्थिति का आभास देते हैं। गत माह जब कर्णवास आश्रम के अधिवेशन में हमलोग भाग ले रहे थे, तब शर्मा जी का शुभ कामना सन्देश केरल प्रदेश से आया था।

पाठकवृन्द लेखक को उसकी महान भूल के लिए क्षमा करेंगे, क्योंकि मैंने प्रारम्भ से अब तक जिस व्यक्तित्व के इस अप्रतिम योगदान का गुणगान किया है, उनको मात्र शर्मा जी कहकर ही सम्बोधित किया है। नामोल्लेख नहीं किया है। पुलिस अधिकारी का नाम लेना आसान नहीं होता है। इनको दूर से नमस्कार करो तो कह देते हैं — घर से भिजवा देते और पास में जाकर नमस्ते बोल दो, तो कह बैठते हैं कि सर पर पढ़ कर सलाम करोगे क्या? पर शर्मा जी के साथ यह बात नहीं है। आइए, उनका परिचय प्राप्त कीजिये। वे हैं पं० विद्यार्णव शर्मा। इनका पूरा परिवार महर्षि दयानन्द के प्रति समर्पित है। अग्रज डॉ० भारत भूषण शर्मा जी मोक्षायतन अन्तर्राष्ट्रीय संस्था का संचालन करते हैं और अबकी विश्व योग दिवस मान्यता से कहीं पूर्व ही योग साधना को देश-देशान्तर में पहुँचाने के सम्मान स्वरूप राष्ट्रपति द्वारा पद्मश्री से वर्षों पूर्व अलंकृत किये जा चुके हैं। इन्हें अमर शहीद सरदार भगत सिंह की जननी राष्ट्रमाता विद्यावती जी द्वारा हृदय से लगाये जाने पर अपार गर्व है। इसीलिये विद्यार्णव शर्मा के सभी आयोजनों में सरदार भगत सिंह के कनिष्ठ भ्राता राष्ट्र रत्न सरदार कुलतार सिंह का शुभागम एवं सम्बोधन उनके दीर्घ जीवन के अन्त तक बना रहा था।

शर्मा जी के पितृवर्य स्व० पण्डित विशम्भर सिंह जी को राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान द्वितीय राष्ट्रपति डॉ० राधाकृष्णन जी के कर कमलों से जिस समय प्रदान किया गया था, उस समय का चित्र अत्यन्त आकर्षक व प्रेरणीय बन गया था, क्योंकि एक पगड़ीधारी के सामने दूसरे पगड़ीधारी एक दूसरे को अवलोकन कर प्रसन्न हो रहे थे। पण्डित जी की दयानन्द के प्रति दीवानगी का पता आपको उनकी अन्तिम साँसों की बेला में गायी गयी — “दयानन्द के वीर सैनिक बनेगे, दयानन्द का काम पूरा करेंगे” पंक्तियों से लग जायेगा। लेख के इस अन्तिम छोर को प्रारम्भिक छोर से जोड़िये। विद्यार्णव शर्मा दूरभाष पर बोल कर वायु की भाँति आते, कोई आदेश-आग्रह करते और वायु की भाँति ही उड़कर

(शेष पृष्ठ २० पर)

यह चोला बड़ा अनमोला कि वेखीं किधरे दाग न लगे

— प्रो० ओमकुमार आर्य, उपमंत्री

आर्यप्रतिनिधि सभा, हरियाणा

इतरा के पुत्र ऐतरेय ऋषि द्वारा रचित उपनिषद् को ही ऐतरेयोपनिषद् कहा जाता है जो कि ऋग्वेदीय उपनिषद् हैं। विद्वानों का मानना है कि ऐतरेय ऋषि ने दो अन्य ग्रन्थों का भी प्रणयन किया था —

‘ऐतरेय ब्राह्मण’ तथा ‘ऐतरेयारण्यक’। ‘ऐतरेयारण्यक’ में पांच आरण्यक शामिल हैं जिनमें दूसरे और तीसरे आरण्यक की ही उपनिषद् संज्ञा है जो ऐतरेयोपनिषद् के नाम से प्रसिद्ध है और ११ वैदिक उपनिषदों में एक है। इस उपनिषद् में अध्याय एक है जिसमें पांच खण्ड हैं। इसके दूसरे खण्ड में एक बहुत ही रोचक एवं सारगर्भित संदर्भ मिलता है।

उपनिषद् का ऋषि लिखता है कि जब अपनी ‘ईक्षण’ शक्ति से जगत् रचयिता ब्रह्मा ने सब लोक लोकान्तर बना दिये तो उसने पुनः ईक्षण किया कि इन लोकों के भोक्ता और रक्षक भी होने चाहिये वरना तो इन लोक-लोकान्तरों के बनाने का प्रयोजन ही क्या है ? तो ब्रह्मा ने युवावस्था वाली अमैथुनी सृष्टि उत्पन्न की। यहाँ उपनिषदकार कहता है कि जिन जीवात्माओं को मनुष्य योनि में उत्पन्न किया जाना था उनके लिये प्रजापति ने पहले गाय का शरीर लाकर खड़ा किया — ‘ताभ्यो गामानयत्’ — तो वे बोले कि नहीं हमें यह शरीर नहीं चाहिये, यह शरीर हमारे लिये उचित नहीं है — नोऽयमलमिति — उन्होंने इस शरीर में प्रवेश करने से मना कर दिया। तत्पश्चात् प्रजापति ने उनको घोड़े का शरीर दिखाया—ताभ्यो अश्वम् आनयत् — जिसे उन जीवात्माओं ने फिर अस्वीकार कर दिया, यह कह कर कि — नोऽयमलमिति — यह भी हमारे लिये उचित नहीं है।

तीसरी बार उनके समक्ष मनुष्य का शरीर उपस्थित किया गया तो तुरंत उन्होंने हामी भर दी और जीवात्मा की अलग-अलग शक्तियाँ अलग-अलग गोलकों में जा बैठीं जैसे, आँख, कान, नासिका आदि। उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक बार-बार कहा —

‘सुकृतं बतेति पुरुषो वाव सुकृतम्’— बहुत सुन्दर, अत्युत्तम, वास्तव में ही यह चोला बहुत उत्तम है, हमें यही चाहिये और इसी ओर संकेत कर रही है शीर्षक में दी गई किसी पंजाबी भजन की यह लाईन—

यह चोला बड़ा अनमोला...

और साथ में सावधान करते हुये यह शर्त भी जोड़ दी —

कि वेखीं किधरे दाग न लगे— मानव-शरीर को सर्वश्रेष्ठ, अत्युत्तम तो कहा ही गया है, साथ ही इसे देवताओं का निवास भी कहा गया है। प्रजापति ने संकेत किया और ‘देवता’ इस चोले में प्रविष्ट हो गये, अपने-अपने स्थानों पर स्थित हो गये। उपनिषद् के शब्दों में —

तं वागेव भूत्वाऽग्निः प्राविशन्मनो भूत्वा चन्द्रमाश्चक्षुर्भूत्वाऽऽदित्यश्चोत्रंभूत्वा दिशः प्राणो भूत्वा वायुः। एषा दैवी परिषद् दैवी सभा, दैवी संसत्॥

अर्थात् अग्नि, वायु, सूर्य, चन्द्रमादि देवता अलग-अलग शक्तियाँ बनकर अपने-अपने अधिष्ठानों पर चले गये। इनके समूह को उपनिषद् शरीरस्थ दैवी परिषद्, दैवी सभा और दैवी संसद के नाम से विहित करता है। ये नाम स्पष्ट बता रहे हैं कि मानव चोला वास्तव में ही अनमोल है, इसे दोषों से बचाकर रखना हमारा कर्तव्य है क्योंकि इसके माध्यम से ही भोग भोगे जा सकते हैं और मोक्ष भी प्राप्त

किया जा सकता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति और सिद्धि का साधन मात्र और मात्र मनुष्य का चोला ही है, अन्य शरीरधारियों के लिये तो इनकी कल्पना करना भी असंभव है।

महाकवि कबीर ने भी अपने सबदों में साखियों में पदों में इस अनमोल चोले की महिमा गाई है। इसको 'चर्खा' 'चदरिया' आदि नामों से वर्णित किया है, कई और भी सार्थक रूपक इस चोले के लिये प्रयुक्त किये गये हैं, उनका यह भजन तो अत्यंत प्रसिद्ध और लोकप्रिय है ही —

झीनी झीनी बीनी चदरिया ॥

आठ कमल दल चरखा डोलै,

पाँच तत्त्व गुण तीनी चदरिया ॥

दास कबीर जतन से ओढ़ी

ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया ॥

यहां सन्त कबीर ने जहाँ इस चोले की श्रेष्ठता अनमोलपन की ओर इंगित किया है वहां यह भी संदेश दिया है कि इस चोले को दागदार, दूषित और विकृत कदापि नहीं करना है, उनके ये शब्द कि —

ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया वही भाव और भावना लिये हुये हैं जो शीर्षक के इन शब्दों में निहित है —

कि वेखीं किधरे दाग न लगे ।

परम्परा से माना जाता है कि चौरासी लाख योनियाँ हैं जिनमें मनुष्य योनि सर्वश्रेष्ठ है। बाकी सब भोग योनियाँ हैं, उनमें कर्म स्वातंत्र्य (स्वतंत्र कर्तृत्व) नहीं है। मनुष्य योनि उभय योनि है, इसमें भोग भोगने के साथ-साथ जीवात्मा को कर्म की स्वतंत्रता भी है। मनुष्य योनि देवताओं के लिये भी दुर्लभ कही गई है। मनुष्य के शरीर को वेदादि शास्त्रों ने कई नाम दिये हैं — क्षेत्र, देवनागरी अयोध्या, दैवी नाव, दैवी वीणा, रथ, आदि। क्षेत्र (अपभ्रंश खेत) को लेकर तो बौद्ध ग्रन्थों में आध्यात्मिक कृषि-खेती का रूपक भी मिलता है। जीवात्मा कृषक बन कर इसी क्षेत्र (काया) में उत्तम कृषि कर सकता है जिसमें श्रद्धा बीज है, तप वृष्टि और प्रज्ञा हल है। काया संयम, वाक्संयम और आहार संयम इस कृषिक्षेत्र की मर्यादायें हैं जो बाड़ बनकर इसकी रक्षा करती है। बैल का कार्य पुरुषार्थ संपादित करता है और इस प्रकार पवित्रतापूर्वक कृषि करता हुआ व्यक्ति अमृत फल की प्राप्ति करता है।

“एवमेसा कसी कड़ा सा होति अमृतफला

एतं कसी कसित्वान सब्ब दुक्खापमुच्यति”

अर्थात् मनुष्य योनि में धर्मपूर्वक आध्यात्मिक कृषि करने वाले को अमृत फल की प्राप्ति होती है, सब दुःखों से छुटकारा मिलता है। हालांकि बौद्ध-धर्म में मोक्ष की वह अवधारणा तो नहीं है जो वैदिक धर्म में है, किंतु दुःखों से छुटकारा पाना तो वहाँ भी मनुष्य का लक्ष्य बताया गया है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि लगभग सभी मत, पंथ, संप्रदायादि के प्रवर्तक और उनके अपने-अपने ग्रन्थ मनुष्य शरीर, मनुष्य योनि को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और उपदेश भी देते हैं कि इस चोले को पूरी तरह विकार रहित, दोषरहित एवं बेदाग रखा जाना चाहिये। यह दूसरी बात है कि ये मत पंथ मनुष्य-प्रवर्तित हैं, उनके ग्रन्थों में भी संकीर्णता, गुरुडम, व्यक्ति पूजा की भ्रामक बातें हैं। किंतु वेदादि शास्त्रों ने मनुष्य योनि, मनुष्य शरीर, उसके स्वामी जीवात्मा आदि के हित, कल्याण, इहलोक में 'अभ्युदय' परलोक

संबंधी 'निःश्रेयस्' आदि का बहुत ही सुव्यवस्थित, सांगोपाग, युक्तियुक्त वर्णन किया है। बिना किसी भेदभाव के 'अष्टांग योग' का वेदसम्मत पथ दिखाकर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि का उपाय बताया है। जो भी जिज्ञासु मनुष्य-योनि और मनुष्य चोला विषयक गूढ़ रहस्यों को जानकर इस अनमोल चोले को पावन, पवित्र, पापों से पूर्णतः अछूता रखना चाहता है, 'वेखिं किधरे दाग न लगे' की कसौटी पर पूरा उतर कर मोक्ष-मार्ग का पथिक बनने की चाह रखता है उसे वेदादि ग्रन्थों का स्वाध्याय अवश्य करना चाहिये ताकि वह इस अनमोल चोले को विषय, वासनाओं की पंक से बचा सके। एक बहुत ही बेदाग, निर्मल, निष्पाप, शुचि जीवन जी सके, अपना इहलोक और परलोक सुधार सके और ऐसे उज्ज्वल पदचिह्न इतिहास के पन्नों पर छोड़ सके जो आने वाली पीढ़ियों का पथ प्रदर्शन कर सकें। अंग्रेज कवि हैनरी लॉंगफैलो (Henry Longfellow) के शब्दों में उन आदर्श व्यक्तियों के Foot prints on the sands of Time दूसरों के लिये प्रकाश स्तम्भ का काम करेंगे। आइये, इन भावनाओं के साथ हम इस चर्चा का समापन करें —

नर तेरा चोला रतन अमोला,

बिरथा खोवै मत ना।

मनुष्य-जन्म मुक्ति का द्वारा

नहीं मिले यह बारम्बारा,

कर ले चेत, घोर नींद में सोवै मत ना।

वेद शास्त्र तुम्हें जगायें, ऋषि मुनि भी राह दिखायें,

अपनी अगत सुधार यूँ गाफिल होवै मत ना,

जन्म अमोला, अनमोल यह चोला

कर ले सद् उपयोग, पाछै रोवै मत ना॥

उपर्युक्त पंक्तियाँ कुछ तो भक्त कवियों की है कुछेक विषय की भावना के अनुरूप लेखक ने अपनी शामिल की है।

मो० ९४१६२९४३४७

०१६८१-२२६१४७

जवाहर नगर

पटियाला चौक जींद, हरियाणा

आर्यसमाज कलकत्ता का १३१ वाँ वार्षिकोत्सव

२४ दिसम्बर २०१६ से १ जनवरी २०१७ पर्यन्त

स्थान :- हृषिकेश पार्क, आम्हर्स्ट स्ट्रीट

कोलकाता-७००००९

आमन्त्रित विद्वान् :-

आचार्या सूर्या देवी चतुर्वेदा

आचार्य डॉ० शिवदत्त पाण्डेय

श्री नरेश दत्त आर्य (भजनोपदेशक)

पराधीन भारत में आर्यत्व का जागरण आर्य समाज देवताओं की समाज होती है ।

— पं० उम्मेद सिंह, 'विशारद'

वैदिक प्रचारक

ओ३म् इन्द्रं वर्धन्तो ऽ पुरः कृण्वन्तो विश्वमार्यम् ।

अपघ्नन्तो अरावणः ॥ (ऋ०)

हम स्वयं आर्य बने और सकल विश्व को आर्य बनाएं

आर्य समाज देवताओं की समाज होती है से तात्पर्य

संसार में समय-समय पर लोक कल्याण के लिये जितने भी महापुरुष हुए हैं और प्रत्येक युग में रहते हैं । उनका समूह आर्य अर्थात् श्रेष्ठ पुण्य आत्माओं का समाज कहलाता है । क्योंकि वह त्यागी पुरुष ईश्वरीय आज्ञानुसार, वेदानुकूल, परोपकार व अपने त्यागमय सदाचारी जीवन से समाज में व्याप्त कुरीतियों को मिटाने व मानव समाज को सन्मार्ग दिखाते दिखाते अपना जीवन बलिदान कर देते हैं । वह महापुरुष जन कल्याण को ही अपना कर्म भूमि समझते हैं । चाहे वह किसी भी मत सम्प्रदाय को मानने वाले हों, किन्तु सामाजिक बुराइयों को खत्म करने में एक जुट विचारक होते हैं । उनको ही देवता कह सकते हैं । क्योंकि वह आर्य हैं और उनका समूह आर्य समाज होता है ।

शुद्ध और अशुद्ध शब्दों की नित्यता

मीमांस दर्शन ने शब्द और सत्कर्म को नित्य माना है और न्याय दर्शन ने अनित्य माना है । किन्तु यह परस्पर विरोध नहीं है । शब्द दो प्रकार के होते हैं एक नित्य और दूसरा अनित्य, इसमें जो शब्द परमेश्वर के ज्ञानानुसार हैं वह नित्य शब्द हैं और जो साधारण मनुष्यों के आम बोल-चाल में आते हैं वह अनित्य हैं । मीमांस दर्शन ने वैदिक शब्दों को नित्य माना है । जैसे ईश्वर का नाम ओ३म् है । वह प्राणियों का स्वाभाविक शब्द है । इसके उच्चारण के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता । महापुरुषों द्वारा जो समय-समय पर वेदानुकूल शब्दों द्वारा अमृत वर्षा होती रहती है । वह शब्द आकाश में नित्य बने रहते हैं उनका नाम नहीं होता है । किन्तु जब युग पुरुष सृष्टि में जन्म लेते हैं या मोक्ष से लौट कर आते हैं । तब वह आकाश के शब्द उन महापुरुषों की आत्मा में अपना स्थान पा लेते हैं । शब्द योग्य पात्र को प्राप्त होते हैं । शब्द अपना स्थान ढूँढ़ते रहते हैं । सत्य यौगिक शब्द पुण्य आत्माओं के आत्मा में स्थान पाते हैं । योग्य पात्र को प्राप्त होते हैं । बस उनको ही देवता कहा जा सकता है । उनका समूह आर्य समाज है ।

अवतार वाद प्रकाश

जनसाधारण का विचार है कि संसार को मार्ग दिखाने हेतु ईश्वर शरीर धारण करके पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। किन्तु यह महा अज्ञान है, क्योंकि ईश्वर अजन्मा, अव्यय, निराकार व सृष्टिकर्ता है। वह संसार एक देशीय कैसे हो सकता है। किन्तु यह भी सत्य है कि मोक्ष से लौट कर भौतिक कर्ममुक्त आत्माएँ अधर्म का नाश करने के लिये समय-समय पर जन्म लेती है। किन्तु यह कर्म मुक्त आत्माएँ स्वेच्छा से जन्म लेती है और कर्म युक्त साधारण मानव कर्म फल अनुसार जन्म लेती है। जैसे महाभारत में योगीराज श्री कृष्ण कर्ममुक्त जीव थे और अर्जुन कर्म युक्त थे।

आर्यत्व के पतन के प्रवाह को रोकना होगा।

भारतवर्ष को धर्म प्रधान देश कहा जाता है और किन्तु सत्य वैदिक धर्म के अभाव में नित्य नये-नये मत सम्प्रदाय खड़े होने लगे और उनमें विचारों के विरोधाभास से पारस्परिक संघर्ष होने लगे। नैतिक नियमों के प्रचार में शिथिलता आने लगी। धर्म के नाम पर हिंसा, छल-कपट, अनैतिक कार्य होने लगे। परिणामस्वरूप जनजीवन में सदगुणों की प्रतिष्ठा कम होने लगी और दुर्गुण अधिक पनपने लगे। पराधीन काल में व युद्धकालीन स्थिति में अनैतिक गुणों को बहुत बल मिला। जिसका परिणाम प्रत्यक्ष दिख रहा है। यही कारण है स्वराज्य तो भारत को मिला किन्तु वैदिक सत्य मार्ग दर्शन के अभाव में अनीति आज चरम सीमा पर है। आज आर्य समाज की अति आवश्यकता है।

अठ्ठारहवीं शताब्दी में भारत में सुधारवादी युग का प्रारम्भ

अठ्ठारहवीं उन्नीसवीं शताब्दी में भारत का भविष्य अंधकार से प्रकाश की ओर जा रहा था, एक सुधारवादी युग का प्रारम्भ हो गया था। सन् १७७२ में बंगाल में राजा राममोहन राय, सन् १८३४ में रामकृष्ण परमहंस, सन् १८२४ में गुजरात में महर्षि दयानन्द का जन्म तथा १८९३ में मद्रास में थियोसोफिकल सोसायटी, सन् १८८४ में महाराष्ट्र में प्रार्थना सभा ने और मुसलमानों में चेतना जगाने हेतु सर सैय्यद ने व अनेक महापुरुषों ने आर्यत्व के कार्य प्रचार शुरू कर दिये थे।

आर्य समाज का गठन व सत्यार्थ प्रकाश का चमत्कार

युग पुरुष महर्षि दयानन्द जी ने प्राचीन पद्धतिनुसार आर्य समाज खोल कर तथा सत्यार्थ प्रकाश की रचना करके सदैव के लिये देवत्व का मार्ग खोल दिया। इससे संसार को सदैव ऋतः एवं सत्य प्रेरणा मिलती रहेगी। देव दयानन्द जी के चरणों में शीश झुक जाता है क्योंकि महर्षि दयानन्द जी ने समाज में व्याप्त तमाम आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक कुरृतियों पर प्रहार करके उनकी मान्यताओं के आडम्बरो का शुद्ध स्वरूप संसार के सामने रखकर एक महान वैचारिक क्रान्ति को जन्म दिया। सत्य का मार्ग दिखाया। सम्पूर्ण भारत में हलचल मच गयी। सभी मत सम्प्रदाय अपनी कथनी और करनी में सोचने को मजबूर हो गये। शास्त्रार्थ का युग प्रारम्भ हो गया। महर्षि दयानन्द जी के सत्य उजागर के आन्दोलन से ब्रिटिश सरकार भी चौकन्नी हो गयी। सदियों से शोषित वर्ग दयानन्द जी को अपना उद्धारकर्ता समझने लगे। महर्षि दयानन्द जी ने स्वतन्त्रता आन्दोलन के साथ सामाजिक कुरृतियों का आन्दोलन भी आवश्यक समझा।

अन्य समाज सुधारकों के भी हम आभारी हैं किन्तु ?

अन्य समाज सुधारक महापुरुषों ने भी समाज सुधार में महत्वपूर्ण कार्य किये हैं किन्तु उन्होंने एक-एक विषय पर ही क्रान्ति की और उन्होंने धार्मिक अन्धविश्वास, वेदों के गलत अर्थ, जातिपाति, मृतक भोज, नारियों पर प्रत्येक प्रकार से प्रतिबन्ध, ईश्वर का प्रचलित मूर्तिपूजा का स्वरूप, तथा अनार्ष विद्या की मान्यताओं का प्रचलन आदि पर आवाज नहीं उठाई अपितु उनको बढ़ावा दिया। महर्षि दयानन्द जी ने समग्र क्रान्ति की अलख जगाई। उन्होंने समझा कि उक्त तमाम बुराइयाँ पराधीनता की जड़े हैं जब तक यह खत्म नहीं होगी, तब तक वास्तविक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होगी।

आज कुछ विषयों में आर्य समाज को दिशा बदलनी ही चाहिए

हम इस लेख में पूर्व ही कह चुके हैं कि संसार में वे तमाम समाज सुधारक महापुरुष आर्य हैं जो समाज में व्याप्त किसी भी कुरीति को मिटाने का सत्याग्रह करते हैं। जो भी महापुरुष समाज में शांति चाहते हैं, मानवता को कायम रखना चाहते हैं। राष्ट्र को सर्वोपरि समझते हैं। आर्याव्रत भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति का समर्थन करते हैं। पाश्चात्य संस्कृति सभ्यता को जो भारतीय संस्कृति को बदलने का कारण समझते हैं और प्रत्येक दुर्गुण जैसे — शराब, माँस, मदिरा, धूम्रपान व अन्य मादक द्रव्यों को समाज से छुड़ाना चाहते हैं। ऐसे उक्त तमाम विषयों पर आर्य समाज संगठन के रूप में आगे आकर एक व्यापक पुरुषार्थ करके सभी को आमंत्रित करके एक सशक्त संगठन को जिसका नामकरण (सर्वधर्म मतों द्वारा समाज सुधार संगठन) बनाकर पहल करनी चाहिए। यदि अन्य धर्मगुरु वैदिक सिद्धान्तों पर एक मत न भी हो किन्तु सामाजिक सामयिक बुराइयों को मिटाने में एकमत हो सकते हैं। आर्य नेतृत्व को इस पर विचार करना चाहिए।

गढ़निवास मोहकमपुर,
देहरादून, उत्तराखण्ड

मो० ९४११५१२०१९

(पृष्ठ १४ का शेषांश)

चले जाते। इस बार उनका आदेश था — नवनिर्मित विशाल आयुक्त-आवास के प्रवेशारम्भ पर यज्ञायोजन समारोह, जो प्रभुकृपा से भव्यरूप से पूर्ण हुआ। शर्मा जी से राज के साथ समाज की व्यस्तता के विषय में पूछे, जाने पर उनका एक ही उत्तर होता — ऐसा शुभावसर फिर कहां ? पं० रामप्रसाद बिस्मिल के स्वर में स्वर मिला कर बोल पड़ते !

खे लेने दो आज नाव, कल कर पतवार गहे न गहे।

जीवन सरिता में शायद फिर ऐसी रसधार बहे न बहे।

अन्तिम साँस निकलने तक है बिस्मिल की अभिलाष यही,

तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहें न रहें ॥

‘वरेण्यम् अवन्तिका (I)’

रामघाट मार्ग, अलीगढ़ (उत्तरप्रदेश)

—०—

क्या भारत में लोकतन्त्र है ?

— सत्यदेव शर्मा

जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है कि लोकतन्त्र का अर्थ जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों की शासन व्यवस्था जिसे जनतन्त्र, प्रजातन्त्र भी कहते हैं। इसके विपरीत अलग-अलग राजनैतिक दलों द्वारा शासन करने को गणतन्त्र कहते हैं। गणतन्त्र का अर्थ पार्टी तन्त्र, गुट तन्त्र, दल तन्त्र, गुण्डातन्त्र हैं। वर्तमान में हमारे देश में लोकतन्त्र नहीं है, गणतन्त्र है। शासन का अर्थ शिक्षा और न्याय व्यवस्था है। किन्तु वर्तमान गणतन्त्र में शासन व्यवस्था, संगठित होकर उचित-अनुचित रीति से उद्योग, व्यापार, व्यवसाय करते हुए धन कमाने का साधन बनकर रह गया है। विद्वानों के स्वार्थ, आलस्य, प्रमाद और स्वयं की अज्ञानता के कारण आम आदमी लोकतन्त्र और गणतन्त्र को एक ही समझता है। बड़े-बड़े नेता, वक्ता, राष्ट्रपति, मन्त्री, प्रधानमन्त्री, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिन्ट मीडिया के पत्रकार-सम्पादक, सामाजिक कार्यकर्ता, प्रशासनिक अधिकारी, न्यायाधीश, भाषाविद्, वैयाकरण, दार्शनिक, अध्यापक, व्याख्याता सभी लोग इस गणतन्त्र को ही लोकतन्त्र कहते हैं। इन सब लोगों की विवशता के अनेक कारण हो सकते हैं। जिनमें एक कारण यह समझ में आता है कि वे सरकारी लाभ लेना चाहते हैं इसलिये किसी भी दल की सरकार हो, वे गणतन्त्र का विरोध कर लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था की माँग नहीं करते हैं। दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि लोकतन्त्र/प्रजातन्त्र/जनतन्त्र के वास्तविक स्वरूप (भयरहित, शुद्धतम, न्यूनतम खर्चवाला, सरलतम, तर्कसंगत, वैज्ञानिक शासन प्रणाली) पर कभी विचार न कर सके हों। तीसरा कारण यह हो सकता है कि इस समय पूरे संसार में किसी भी देश में लोकतन्त्र नहीं है, इसलिए उन्हें यह नहीं पता कि लोकतन्त्र का स्वरूप कैसा होता है ? कोई कितना भी तर्क और प्रमाण प्रस्तुत करे किन्तु सच्चाई यही है कि इस समय हमारे देश में लोकतन्त्र नहीं है। जिसका सबसे बड़ा प्रमाण है — प्रतिवर्ष २६ जनवरी को गणतन्त्र दिवस मनाया जाता है, लोकतन्त्र दिवस नहीं मनाया जाता है। दूसरा बड़ा प्रमाण है — हमारे देश में राजनैतिक दलों की उपस्थिति। जिनमें से कुछ अभी शासन कर रहे हैं, शेष विपक्ष में हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी, आम आदमी पार्टी, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, अन्ना द्रमुक मुन्नेत्र कडगम, तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल एवं अन्य राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय राजनीतिक दल। हमारे देश की वर्तमान गणतान्त्रिक व्यवस्था में जनता से छल करके निर्दलीय और राजनैतिक दल के नेता वोट लेकर सरकार बनाते हैं। जब काँच को हीरा नहीं कहते, पीतल को सोना नहीं कहते, दीपक को सूर्य नहीं कहते, रेत को शक्कर नहीं कहते, बबूल और कीकर को आम का वृक्ष नहीं कहते, दलदल (कीचड़) को समतल मैदान नहीं कहते, शराब को अमृत नहीं कहते, जंगली हिंसक जानवरों को घरेलू पालतू पशु नहीं कहते, बन्दर आदि नकलची पशुओं को मनुष्य नहीं कहते, देशद्रोहियों को देशप्रेमी नहीं कहते, शत्रु को मित्र नहीं कहते, चरित्रहीन स्त्री-पुरुषों को आदर्श माता-पिता या शिक्षक/शिक्षिका नहीं कहते, दुष्ट अपराधियों को सज्जन नहीं कहते, चोर को साहूकार नहीं कहते, डाकुओं को महात्मा नहीं कहते, लुटेरों को रक्षक नहीं कहते, मूर्ख को विद्वान् नहीं कहते, पापियों को देवता नहीं कहते तो गणतन्त्र (दलतन्त्र, गुटतन्त्र, पार्टीतन्त्र, गुण्डातन्त्र) को लोकतन्त्र

(प्रजातन्त्र, जनतन्त्र) क्यों कहते हैं ? इस विषय पर राष्ट्र स्तरीय चर्चा होना चाहिये । गणतन्त्र के वर्तमान स्वरूप और उससे होने वाली हानियों को समझने के लिये कुछ तथ्यों पर विचार करें —

हमारे देश से अंग्रेजों के चले जाने के बाद कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ा राजनैतिक दल था इसलिये केन्द्र में तथा राज्यों में लम्बे समय तक उसी दल का शासन रहा । सत्ता के लालच में धीरे-धीरे अन्य राजनैतिक दलों का उदय हुआ और कांग्रेस का एकाधिकार कम होने लगा । एक समय ऐसा आया जब किसी भी दल को बहुमत नहीं मिल रहा था तब अनेक दलों का गठबंधन होने लगा । यह गठबंधन दो प्रकार का होता है — १. चुनाव पूर्व गठबंधन, २. चुनाव के बाद गठबंधन । जिस गठबंधन का बहुमत होता है वह शासन करता है । वर्तमान में कुछ स्वार्थी लोग क्षेत्रीय, सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक मुद्दों के आधार पर अपने स्वार्थपूर्ति के लिए एक राजनीतिक संगठन बना लेते हैं और उसे भारत निर्वाचन आयोग में पंजीकृत कराकर चुनाव लड़ते हैं । कुछ सीटें मिल जाने पर अन्य दलों से गठबंधन कर सरकार में शामिल हो जाते हैं । यदि सरकार में शामिल न हो सकें तो विपक्ष में रहकर स्वार्थ सिद्ध होने पर शासक दल या गठबंधन का समर्थन करते हैं और स्वार्थ सिद्ध न होने पर विरोध करते रहते हैं । जिस गठबंधन का अल्पमत होता है वह विपक्ष में रहकर स्वार्थ सिद्ध होने पर शासक दलों का समर्थन करता है, जब स्वार्थ सिद्ध नहीं होता तब विरोध करता है । ऐसा भी होता है कि शासक दलों में जो छोटा दल होता है वह अपना स्वार्थ सिद्ध न होने पर बड़े दल का सरकार के अन्दर तथा बाहर अपना महत्व बढ़ाने के लिए विरोध (ब्लैकमेल) करता है । केन्द्र में शासन करने वाला दल राज्यों में अपने विरोधी दलों की सरकार को गिराने का कोई अवसर नहीं छोड़ते । चुनाव जीतकर सत्ता मिलने पर राजनैतिक दलों का सर्वप्रथम कार्य अपने पार्टी को चुनावी चन्दा देने वाले उद्योगपतियों, व्यापारियों, व्यवसायियों, कार्यकर्ताओं, वोटरों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुँचाना होता है । इसके लिए वे वैध, अवैध दोनों तरीके अपनाते हैं और ऐसा वे तब तक करते रहते हैं जब तक शासन में बने रहते हैं ।

गणतन्त्र/पार्टीतन्त्र/दलतन्त्र/गुण्डातन्त्र से राष्ट्र को हानियाँ :- यह पूर्णतः बुद्धि के विपरीत और व्यवहार में सब प्रकार से हानिकारक है । नगर पालिका निगम से लेकर जिला, प्रान्त और राष्ट्र पर सभी शासकीय इकाइयों को भ्रष्ट करने वाला है । यह पूर्णतः विदेशी प्रणाली की शासन व्यवस्था है, इसीलिये इसमें विदेशी शक्तियों का हस्तक्षेप करना बहुत आसान रहता है । बिना युद्ध किये कोई भी शत्रु देश अन्य देश में तस्करो, माफियाओं, आतंकवादियों, नक्सलवादियों, माओवादियों, एन.जी.ओ. और देशद्रोही राजनैतिक दलों द्वारा उस देश के सुख, शांति, समृद्धि का नाश करते रहते हैं । इसमें मानवीय बुद्धि से चुनाव/निर्वाचन होता है । मानवीय बुद्धि से किया जाने वाला कोई भी कार्य अपूर्ण ही होता है क्योंकि दूसरा बुद्धिमान व्यक्ति आसानी से उसमें दोष ढूँढ़ लेता है । जन प्रतिनिधियों के चुनाव के लिए नामांकन होता है । नामांकन होते ही राग-द्वेष इतना बढ़ता है कि हत्या भी हो जाती है । कुछ लोग अपना नामांकन सिर्फ टिकट बेचने के लिये ही करवाते हैं । चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों से जमानत राशि जमा करवाया जाता है । यहीं से भ्रष्टाचार की शुरुआत होती है । जमानत राशि जमा नहीं कर पाने के कारण गरीब व ईमानदार व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता । जो व्यक्ति चुनाव जीत जाता है वह अपना खर्च किया हुआ धन दो गुना, चौगुना व अधिक कमाने के प्रयास में सब प्रकार से भ्रष्टाचार

करता है। जो चुनाव हार जाता है उसके धन का नाश हो जाता है। वह निराश होकर गलत तरीके से धन कमाने का प्रयास करता है या पागल हो जाता है। इस चुनाव णाली से जुआं खेलने की प्रवृत्ति बढ़ती है, जो हजारों-लाखों लोगों को बर्बाद कर देता है। पंजीकृत राजनैतिक दलोंका चुनाव चिह्न पहले से निर्धारित होता है। चुनाव के समय निर्दलीय उम्मीदवारों के लिये अलग-अलग चुनाव चिह्न निर्धारित किया जाता है। हमारे देश में निरक्षरता के अनेक कारणों में चुनाव चिह्न भी है। राजनैतिक दलों का चुनाव चिह्न ठीक वैसे ही हैं जैसे बड़ी-बड़ी कम्पनियों के ट्रेड मार्क। इसमें पहले बड़े-बड़े मतपत्रों का प्रयोग होता था, अब ई.वी.एम. (इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन) का प्रयोग होता है। यह पूर्णतः अविश्वसनीय उपकरण है अतः इसमें धोखाधड़ी की संभावना हमेशा बनी रहती है। अवैध मतों की संख्या का पता लगाना असम्भव होता है क्योंकि इन मशीनों में बटन दबाते समय मतदाता का नाम तथा क्रम संख्या मशीन में रिकार्ड नहीं होता है। इन मशीनों को खरीदते समय सम्बद्ध अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा कमीशन लेने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। इन मशीनों को मतदान स्थल में लाने तथा सुरक्षित ले जाने, रखने में अनावश्यक धन बर्बाद होता है। यह ई.वी.एम. भ्रष्टाचार का अत्याधुनिक यंत्र है। आम आदमी इन मशीनों द्वारा होने वाले जालसाजी से अनभिज्ञ है। क्योंकि उनके पास इस विषय में चिन्तन करने का समय और समझ नहीं है। इस मशीन द्वारा होने वाली जालसाजी को कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम की जानकारी रखने वाले बुद्धिमान तकनीशियन/इंजीनियर ही निश्चित रूप से ठीक तरह से जानते हैं। यह ई.वी.एम. धनबल और बाहुबल के आधार पर परिणाम दिखाता है। परिणाम आने में कई दिन लगते हैं। मतदान स्थल पर परिणाम घोषित नहीं होने से पारदर्शिता नष्ट हो जाती है। निर्दलीय उम्मीदवारों और राजनैतिक दलों द्वारा पोस्टर, बैनर, होर्डिंग्स, बिल्ला, प्रचार पत्रक आदि तथा दैनिक समाचार पत्र, मासिक-पाक्षिक पत्रिकाओं, रेडियों, टी.वी. चैनलों, इन्टरनेट और मोबाइल द्वारा प्रचार के लिये करोड़ों, अरबों रुपये खर्च किया जाता है। चुनाव घोषणा पत्र या विजन डॉक्यूमेन्ट जारी किया जाता है। उसमें उल्लिखित वादों को किसी भी दल या निर्दलीय नेता द्वारा पूरा नहीं किया जाता। जिन सिद्धान्तों पर चलने की प्रतिज्ञा करते हैं चुनाव जीतने के बाद उन पर आचरण नहीं करते। घर-घर जाकर मतदाताओं से वोट की भीख मांगते हैं। लोगों को नाश्ता-भोजन खिलाने, कोल्ड ड्रिक्स-चाय-शराब-बीड़ी-सिगरेट पिलाने, सुल्फा, गांजा, चरस, कोकिन आदि में धन खर्च कर जनता को बिगाड़ने का काम करते हैं। भीड़ एकत्र करके ध्वनि विस्तारक यंत्रों से ध्वनि प्रदूषण करके आम जनता की शांति में बाधा उत्पन्न करते हैं। मतदाताओं को धमकाते हैं, गुण्डों से डराते हुए प्रचार करवाते हैं। सत्ताधारी दल के नेता, मन्त्री, प्रधान मन्त्री, सांसद, विधायक आदि सरकारी खर्च पर चुनाव प्रचार करके जनता के धन का बहुत अधिक दुरुपयोग करते हैं। सरकारी खर्च बहुत अधिक होने के कारण प्रत्येक चुनाव के बाद महँगाई निश्चित रूप से बढ़ता है। चुनाव के लिये उद्योगपतियों, व्यापारियों, व्यवसायियों, तस्करों, माफियाओं से चंदा लेने के कारण कालाबाजारी बढ़ता है। इसमें चुनाव प्रक्रिया पूर्णतः गलत है जनता द्वारा सीधे विधायक, सांसद चुनने की प्रक्रिया के कारण बार-बार भीड़ इकट्ठा करके मतदान कराया जाता है। जिससे मतदान प्रक्रिया में कई हजार करोड़ रुपये खर्च होता है। नगर में, प्रान्त और केन्द्र में अलग-अलग राजनैतिक दलों का शासन होता है। उनमें परस्पर तालमेल न होने से जनता के धन और समय की बर्बादी होती है। मतदाताओं को

सर्दी, गर्मी, आँधी-तूफान हो या बरसात, पंक्तिबद्ध खड़े रहकर अपना मतदान करने के लिये प्रतीक्षा करना पड़ता है। लाइन में खड़े-खड़े थक जाते हैं इसलिये सोचने का समय और सामर्थ्य नहीं रहता है। जल्दबादी में मतदान किया/कराया जाता है। मतदाता अपने पसंद का कोई भी उम्मीदवार न होते हुए भी किसी न किसी को अपना मत देने के लिये विवश होता है। यद्यपि आजकल ई.वी.एम. में नोटा बटन होता है किंतु उसे दबाने से कोई विशेष लाभ नहीं होता, क्योंकि चुनाव आयोग इस बात पर ध्यान ही नहीं देता कि कोई मतदाता किसी भी उम्मीदवार को वोट क्यों नहीं देना चाहता है ? उम्मीदवारों में कड़ी प्रतिस्पर्धा होने के कारण नामांकन के दिन से ही राग-द्वेष शुरू होकर दिन-प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है। नामांकन से लेकर चुनाव परिणाम आने तक लड़ाई-झगड़े होते रहते हैं। इस क्रम में उम्मीदवारों तथा उसके समर्थकों और कार्यकर्ताओं की हत्या भी हो जाती है। इसमें राजनैतिक दलों तथा निर्दलीय उम्मीदवारों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा होने के कारण जनता को धन या वस्तुओं का लालच देकर, धमकी देकर, डराकर अपने-अपने पक्ष में मतदान करवाने का प्रयास करते हैं। इस पद्धति में जब किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है तब दो या दो से अधिक (विरोधी विचार वाले) दल मिलकर गठबन्धन सरकार बनाते हैं जो संविधान के प्रतिकूल है। अब चुनाव पूर्व गठबन्धन करते हैं। शेष पार्टियाँ (विपक्षी) सरकार के विरुद्ध कार्य करते रहते हैं। विपक्षी दल लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, नगर पालिका निगम की कार्यवाही में बाधा डालकर समय और धन की बर्बादी करते/करवाते हैं। सरकार की सहयोगी पार्टियाँ हमेशा अनुचित माँगों की पूर्ति केलिये मुख्य दल को विवश करते रहते हैं। जो राजनैतिक दल अल्पमत प्राप्त होने के कारण विपक्ष में बैठता है वह शासक दल को हमेशा ब्लैकमेल करते रहता है और अपने अवैध कार्यों को शासक दल से करवाते रहता है। यदि शासक दल विपक्षियों का स्वार्थ सिद्ध न करे तो सांसद, विधानसभा, नगरपालिका निगम की कार्यवाही चलने नहीं देते हैं -- बाधा डालते हैं या वाक आउट करते हैं। चुनाव में विजयी होने के पश्चात् नेता, दल तथा गठबन्धन अपने-अपने मतदाताओं की अनुचित माँगों को पूर्ण करने के लिये विवश होते हैं। जिससे अगले बार भी चुनाव जीत कर धनबल और बाहुबल बढ़ा सकें। इस प्रणाली में चुनाव जीतने वाला ढोल-नगाड़े बजाता है, जुलूस निकालता है, आतिशबाजी करता है, उत्सव मनाता है। हारने वाले उम्मीदवारों और राजनैतिक दलों को चिढ़ाता है। सभी राजनीतिक दलों के गुण-दोष देश की जनता पिछले ६५ वर्षों में जान चुकी है। इसलिये कोई भी पार्टी को सरलता से बहुमत नहीं मिल पाता है। छल कपट से वोट लेते हैं। ई.वी.एम. में गड़बड़ी करवाकर ही चुनाव जीतते हैं। कोई भी राजनैतिक दल राष्ट्र का कल्याण करने में समर्थ नहीं है। सभी दल देश को बर्बाद कर रहे हैं। हमारे देश में सैकड़ों क्षेत्रीय एवं राजनैतिक दल हैं। इस समय पूरा देश दलों के दलदल (कीचड़) में फँस गया है। सूचना का अधिकार २००५ कानून से जनता को कोई विशेष लाभ नहीं है, क्योंकि राजनैतिक दल, अपराधी नेता और उनके कार्यकर्ता गुण्डे आर.टी.आई कार्यकर्ताओं को धमकाते हैं और हत्या भी कर देते हैं। निर्दलीय नेता तथा राजनैतिक दल नामांकन, जमानत राशि और चुनाव प्रचार में धन खर्च करते हैं इसलिये उनका बेईमान, कामचोर, पक्षपाती और देशद्रोही होना सुनिश्चित है। वे धन कमाने और अपना अपराधिक सामर्थ्य बढ़ाने के लिये ही चुनाव लड़कर नेता बनते हैं। इसमें सत्ता प्राप्ति के लिये सभी प्रकार से अपराधियों का सहयोग लेना पड़ता है अतः अपराधियों को पुलिस द्वारा नियंत्रित करना कठिन या असम्भव होता

है। पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की दिन दहाड़े हत्या हो जाती है। देशद्रोही, असामाजिक तत्वों की जीविका, रोजगार, ऐशो आराम का मुख्य साधन इस गणतंत्र की चुनाव प्रणाली और शासन व्यवस्था ही है। निर्दलीय प्रत्याशियों तथा राजनैतिक दलों द्वारा चुनाव जीतने के लिये जिन उद्योगपतियों, व्यापारियों, व्यवसायियों, तस्करों, माफियाओं, अपराधियों से धन लिया जाता है, उन्हीं सबके लाभ के लिये सारी योजनायें बनाई जाती हैं। उन योजनाओं से जनता को नाममात्र लाभ मिलता है। सभी राजनैतिक दल तथा निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव से पहले और बाद में अपना वोट बैंक बढ़ाने और आगे यथावत् बनाये रखने के लिये पुजारियों, ज्योतिषियों, पाखंडियों, गुरुडमवादियों, मौलवियों, पादरियों, आतंकवादियों, अलगाववादियों, माओवादियों, नक्सलवादियों, एन.जी.ओ., अन्य अपराधियों तथा विदेशी घुसपैठियों को संरक्षण देते हैं। दूसरे दल से निकाले हुए विश्वासघाती दलबदलू नेताओं को अपने-अपने दल में शामिल करने के लिये सभी राजनैतिक दलों में होड़ लगी रहती है। सभी राजनैतिक दल फिल्मों कलाकारों (इस देश की सभ्यता-संस्कृति का बिना बुद्धि खर्च किये नाश करके पाश्चात्य विकृतियों को प्रचारित करने वालों) को चुनाव प्रचार के लिये धन देते हैं। चुनाव लड़ने के लिये टिकट देकर उसे नेता बनाने के लिये उससे धन भी लेते हैं। चुनाव जीतकर सत्ता में आने पर उनको राष्ट्रीय स्तर के पद्मश्री आदि पुरस्कार देकर धार्मिक, देशभक्त, सदाचारी योग्य व्यक्तियों का अपमान करते हैं। इसमें कोई व्यक्ति अन्य क्षेत्र में नामांकन करवाकर धनबल तथा बाहुबल के द्वारा चुनाव जीतकर स्थानीय लोगों का बहुत अहित करते हैं। जिनको एक क्षेत्र के मतदाताओं और कार्यकर्ताओं पर विश्वास नहीं होता, वे दो-दो क्षेत्रों से चुनाव लड़ते हैं। प्रान्त तथा राष्ट्रीय स्तर की विधानसभाओं और लोकसभा के लिये सीधे जनता द्वारा मतदान करने से चुनाव प्रक्रिया बहुत जटिल, खर्चीला और दीर्घकालिक होता है। इसमें मन्त्रीमण्डल का चुनाव धनबल एवं बाहुबल के आधार पर होता है। इसमें सत्ता दल के नेता चुनाव हारने पर भी मन्त्री बन जाते/बनायेजाते हैं। क्या यह वर्तमान संविधान के अनुसार किसी प्रकार उचित है? महिला तथा जाति के आधार पर आरक्षण होने से अयोग्य व्यक्ति ही नेता बनते हैं और योग्य व्यक्तियों का अपमान करते हैं। महिला के नाम पर आरक्षण होने से उसके पति/पिता/भाई/अन्य अपने इच्छानुसार कार्य करते रहते हैं। जाति के नाम पर आरक्षण होने के कारण जातिप्रथा का कोढ़ भयंकर रूप धारण कर देश को बर्बाद कर रहा है। इसमें कानून बहुत जटिल होता है जिसके कारण न्यायिक प्रक्रिया बहुत लम्बी, दीर्घकालीन और खर्चीली होती है। कानून की पुस्तकें इतनी अधिक संख्या में होती हैं कि आम आदमी सभी पुस्तकें न तो खरीद सकता है और न ही उनको अपनी पूरी जिंदगी में पढ़ सकता है। निरपराधी जेल की सजा भोगते हैं तथा राजनैतिक दलों और नेताओं के कार्यकर्ता/अपराधी खुलेआम घूमते हैं। प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति और बड़े-बड़े राज्य के अधिकारी पढ़े-लिखे होते हैं फिर भी अनपढ़ लोगों की तरह पत्थर पूजकर, कब्र में चादर चढ़ाकर, पुस्तक पर मत्था टेककर अपने और देश के लोगों की बुद्धि और धन का नाश करते हैं। वह सभा, सभा नहीं जिसमें कोई वृद्ध न हो, वह वृद्ध, वृद्ध नहीं जो सत्य न बोले, वह सत्य, सत्य नहीं जो छल-कपट युक्त हो। धनबल और बाहुबल से नेता बनने वालों से सभा नहीं बनती अर्थात् वे न्याय नहीं कर सकते। प्रतिभा सम्पन्न मानवों का समुदाय सभा कहलाती है। वर्तमान विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा आदि सभा कहलाने योग्य नहीं हैं, क्योंकि अशिक्षित और अपराधी लोग इन सभाओं में धनबल और बाहुबल

से पहुँच जाते हैं। इनके अधीन काम करने वाले उच्च शिक्षित आई.ए.एस. और आई.पी.एस. अधिकारी, सेना और पुलिस कुंठित तथा निराश हो जाते हैं, कुछ आत्महत्या भी कर लेते हैं। कुछ शिक्षित, सभ्य लोग इन सभाओं में पहुँच जाये तो उनकी बात कोई मानता नहीं है। इसमें शिक्षित, लोकप्रिय, देशभक्त व्यक्तियों के चुने जाने की सम्भावना बहुत कम नहीं के बराबर होती है। इसकी चुनाव प्रणाली जटिल, खर्चीली, तर्कहीन, दीर्घकालिक तथा पूर्णतः अवैज्ञानिक है।

जब सत्ता में बैठे लोग संगठित होकर अपराध करते हैं तब मंदिर मस्जिद की लड़ाई, कोयला घोटाला, चारा घोटाला, खेलों में घोटाला, तोप-हेलिकॉप्टर एवं अन्य रक्षा सौदों में घोटाला, बैंक कर्ज लेने/देने में घोटाला, जमीन घोटाला, तस्करी, कालाबाजारी आदि बड़े-बड़े अपराध होते हैं। जनता इन अपराधों को देखकर भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि ये अपराध वे लोग करते/करवाते हैं जिनके हाथ में प्रशासनिक, आर्थिक, पुलिस और सैन्य शक्ति होते हैं। श्री श्री रविशंकर, आशाराम, नारायण साईं, संत रामपाल, राम रहीम, जयगुरुदेव, साईं बाबा जैसे बड़े-बड़े पाखंडी साधु राजनैतिक दलों और नेताओं से सांठगांठ करके जनता को ठगते हैं। जनता के तन, मन, धन और बुद्धि का नाश करते हैं।

इस गणतंत्र से उत्पन्न होने वाली कुछ समस्याएँ ऐसी हैं जिनका समाधान कोई भी राजनैतिक दल नहीं कर सकता। क्योंकि अधिकांश अपराध निर्दलीय और राजनैतिक दलों के नेता ही अप्रत्यक्ष रूप से अपने कार्यकर्ताओं/अपराधियों के द्वारा करते हैं। निम्नलिखित समस्याओं का एकमात्र समाधान लोकतन्त्र है —

कूरात/संवेदनहीनता, सामाजिक-राजनीतिक व धार्मिक मत परिवर्तन षडयंत्र से शास्त्रार्थ से नहीं, सरकारी जमीन पर नये-नये मूर्ति-मन्दिर तथा मजारों-कब्रों आदि का निर्माण, तीर्थ और हज यात्रा, सत्संग के नाम पर कुसंग, फलित ज्योतिष, विभिन्न अंधविश्वास, कुम्भ मेला आदि पाखंड, गुरुडमवाद, काला धन, चिटफंड घोटाला, नकली बीमा कम्पनी, नकली नोट, बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ, विदेशी कर्ज, विदेशी शासकों का दबाव, राजनैतिक अस्थिरता, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, पुलिस तथा न्यायालय प्रक्रिया में देरी और अन्याय, हिन्दू-मुस्लिम दोहरे कानून, तुष्टिकरण, छेड़छाड़, समलैंगिकता, लव जिहाद, स्त्री-पुरुषों की खरीदी-बिक्री-तस्करी, तेजाबी हमला, आतंकवाद, नक्सलवाद, माओवाद, देशद्रोह, विदेशी घुसपैठ, साम्प्रदायिक दंगे, चोरी, डकैती, ठगी, राहजनी, तस्करी, भाषायी तथा प्रान्तीय संकीर्णता, राष्ट्र विभाजन (नये-नये राज्यों का गठन), राष्ट्र विभाजन की मानसिकता वाले लोगों का सम्मान, चुनाव से पहले ओपीनियन पोल, चुनाव परिणाम से पहले रूझान, मिलावटी खाद्यान्न पदार्थ, रासायनिक खाद व कीटनाशक-जहरीली दवा युक्त कृषि उपज, संकरित बीजों से उत्पन्न रोगकारक अन्न-सब्जी-फल-मेवे आदि से विभिन्न बीमारियाँ, गन्दे नालों एवं गन्दे तालाबों के पानी से उत्पन्न सब्जियाँ, नकली दवाईयाँ, नकली दूध-घी, असली दूध एवं घृत की कमी/अभाव, गाय आदि पशुओं की कत्लखानों में निर्मम हत्या, माँसाहार, शराब एवं अन्य मादक पदार्थों का प्रचलन, धूम्रपान, मनुष्यों की औसत आयु १०० वर्ष से कम, निरक्षरता, महंगी एवं दोषपूर्ण विदेशी शिक्षा व्यवस्था, अंग्रेजी भाषा थोपने का षडयंत्र, रेगिंग, आरक्षण, बेरोजगारी, किसानों एवं युवाओं द्वारा आत्महत्या, बाल मजदूरी, बंधुआ मजदूरी, हड़ताल, चक्का जाम, धरना, प्रदर्शन, तोड़फोड़, आगजनी, नगर-प्रान्त-राष्ट्रव्यापी बंद, जन्मना जाति प्रथा, छुआछूत, महंगाई, गरीबी, भूखमरी, भिक्षावृत्ति, कामचोरी-हरामखोरी, लाटरी-जुआ, खेलों में

सट्टेबाजी, महिलाओं-वृद्धों-अनाथों की खराब स्थिति, वेश्यावृत्ति, समाचार पत्र-पत्रिका-सिनेमा-टी.वी.-इन्टरनेट द्वारा अश्लीलाता का खुला प्रचार, दहेज एवं महिला उत्पीड़न, कन्या भ्रूण हत्या, अपहरण, एकल एवं सामूहिक दुष्कर्म और उसके बाद हत्या, पाश्चात्य जीवन शैली, जल-थल-वायु-दृश्य-ध्वनि प्रदूषण, जलवायु एवं मौसम परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन क्षरण, पशु-पक्षियों की जातियों का विलुप्त होना, सूखा तथा बाढ़, भूकम्प, वनों की अवैध कटाई, खदानों की अवैध खुदाई, सड़क-रेल-हवाई दुर्घटनाएँ आदि।

समाधान - गणतंत्र के स्वरूप और उससे होने वाली हानि पर विचार करने तथा प्राचीन साहित्य का अध्ययन करने पर लोकतंत्र और उसके लिए चयन प्रणाली का निम्नलिखित स्वरूप समझ में आता है। जिस पर बुद्धिमान, विद्वान्, सामाजिक-धार्मिक परोपकारी संगठन के नेता, कार्यकर्ता विचार करके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आन्दोलन चलावें तो हमारे देश में जनता के द्वारा पूर्णतः पारदर्शी शासन व्यवस्था अर्थात् प्रजातन्त्र/लोकतंत्र/जनतंत्र स्थापित करना बहुत सरलता पूर्वक सम्भव है।

लोकतन्त्र के लिये चयन प्रणाली - प्रत्येक ग्राम और नगर के मोहल्ले में जनप्रतिनिधियों के चयन के लिए सभी योग्य स्त्री-पुरुष मतदाताओं को एकत्र कर बिना नामांकन चयन होना चाहिये। जब नामांकन नहीं होगा तो जमानत राशि तथा चुनाव चिह्न की भी कोई आवश्यकता नहीं होगी और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की नाममात्र भी आवश्यकता नहीं होगी। इस प्रक्रिया में सभी मतदाता, प्रत्याशी भी होते हैं। सभी मतदाता शांत होकर उचित दूरी पर वैसे ही बैठें जैसे परीक्षा हॉल में विद्यार्थी बैठते हैं। कोई किसी से बातचीत न करें पूर्ण शांति बनाये रखें। सभी मतदाताओं को रेलवे आरक्षण टिकट के बराबर मतपत्र दिया जाये। उन मतपत्रों में मतपत्र क्रमांक अंकित हों। मतदाताओं को मतपत्र देते समय रजिस्टर में उस मतपत्र का क्रमांक और मतदाता का नाम लिख लिया जाये जिसको वह मतपत्र दिया जा रहा हो। जिससे मतगणना करते समय यह निश्चित करना अत्यन्त सरल हो सके कि किसी मतदाता ने अपने मतपत्र में अपना ही नाम तो नहीं लिखा। यदि कोई मतदाता अपने मतपत्र में अपना ही नाम लिख ले तो उसे अवैध/व्यर्थ मत गिना जाये। सभी मतदाता अपना मत देने के लिये स्वतंत्र रहें। जो जिस व्यक्ति को सर्वाधिक योग्य समझें उसका नाम मतपत्र में लिखकर चयन अधिकारियों को दे दें। जो निरक्षर हों तो वे अपने किसी विश्वासपात्र से योग्य व्यक्ति का नाम लिखवा लेवें। कोई भी मतदाता अन्य मतदाताओं से न पूछें कि वह अपना वोट/मत किसे दे रहे हैं ? न ही स्वयं दूसरों को बताये कि मैं अपना मत किसे दूँगा ? बाद में भी न बताये कि मैंने अपना मत किसे दिया ? गोपनीयता बनाये रखना अत्यन्त आवश्यक है, जिससे किसी प्रकार का राग-द्वेष और मतदान स्थल पर अशांति न हो। पूर्ण मतदान के पश्चात् परिणाम तत्काल मतदान स्थल पर ही मतदाताओं की उपस्थिति में घोषित किया जाये। किस-किस व्यक्ति को कितना मत मिला है यह बताया जाये। किन्तु किस-किस व्यक्ति ने अपना मत किस-किस को दिया है यह न बताया जाये। चयन अधिकारी दूर के क्षेत्रों के होंवें जिससे वे किसी मतदाता/प्रत्याशी के साथ पक्षपात न कर सके। जिस व्यक्ति के नाम पर सबसे अधिक मत प्राप्त हो उसको जन प्रतिनिधि/नेता घोषित किया जाये। यदि सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति ग्राम में ग्राम प्रधान और नगर में मुहल्ला का अध्यक्ष पद ग्रहण न करना चाहे तो उसके बाद वाले अधिक मत प्राप्त व्यक्ति को वह पद दिया जाये। इसी प्रकार सम्पूर्ण देश में ग्रामप्रधान और मुहल्ला के अध्यक्षों का चयन एक ही दिन में कराया जाये।

ठीक दूसरे दिन दस ग्रामों के प्रधानों की एक जगह सभा करके दस ग्रामाधिपति का चयन किया जाये। तथा नगरों में दस मुहल्लों के सभी अध्यक्षों की सभा करके दस मुहल्लों के अधिपति का चयन किया जाये। चूँकि वे एक दूसरे से परिचित नहीं होते हैं इसलिये चयन अधिकारियों की उपस्थिति में क्रम से अपना-अपना परिचय (नाम, ग्राम/मुहल्ला, योग्यता, वर्तमान व्यवसाय, विजन/दृष्टिकोण आदि) की जानकारी देवें। जब एक व्यक्ति अपना परिचय दे रहा हो उस समय अन्य लोग प्रश्न पूछना चाहें तो अपना परिचय देने वाला प्रश्नों का उत्तर भी देवे। जिससे सभी मतदाता/प्रत्याशी विचारपूर्वक अपना मत सर्वाधिक योग्य व्यक्ति को दे सकें। प्रथम दिन ग्राम प्रधान/मुहल्ला अध्यक्ष का चयन होने के पश्चात् उन पर कड़ी निगरानी रखना चाहिए जिससे वे ऊपर की सभा में मतदान से पहले किसी प्रकार सांठगांठ न कर सके। उनकी पूरी सुरक्षा होनी चाहिये जिससे कोई उन्हें किसी प्रकार हानि न पहुँचाये और न ही धमकी दे सके। इसी प्रकार तीसरे दिन दस-दस ग्रामों के प्रधानों की सभा करके सौ ग्रामों के प्रधान का चयन करना/करवाना चाहिये। दस-दस मुहल्ले के अध्यक्षों की सभा में सौ मुहल्ले के अध्यक्ष या नगर अध्यक्ष का चयन होना चाहिये। चौथे दिन सौ-सौ ग्रामों के प्रधानों की सभा में एक-एक हजार ग्रामों के प्रधान का चयन होना चाहिये। दस-दस नगर अध्यक्षों की सभा में सौ नगरों के अध्यक्ष का चयन होना चाहिये। पांचवे दिन हजार-हजार ग्राम प्रधानों की सभा में दस हजार ग्रामों के प्रधान का चयन होना चाहिये। सौ-सौ नगरों के अध्यक्षों की सभा में एक हजार नगरों के अध्यक्ष का चयन होना चाहिये।

छठे दिन दस-दस हजार ग्रामों के प्रधानों और एक-एक हजार नगरों के अध्यक्षों की संयुक्त सभा करके केन्द्र सरकार का गठन करना चाहिये। इस प्रकार से चयन करने पर नामांकन करवाने, जमानत राशि जमा करने, चुनाव चिह्न वितरित करने तथा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मतदान करवाने की नाममात्र भी आवश्यकता नहीं होगी। समय और धन की बहुत बचत होगी। लड़ाई-झगड़ा या किसी प्रकार का उपद्रव नहीं होगा।

जो व्यक्ति जनता में लोकप्रिय होगा वही ऊपर की सभाओं में पहुँच सकेगा। जिससे सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति ही केन्द्र (लोकसभा, राज्यसभा) में पहुँच सकेंगे। राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री का चयन भी इस प्रकार होने पर देश में भ्रष्टाचार का समूल नाश हो जायेगा। जैसे प्राथमिक विद्यालय में पढ़े बिना कोई विद्यार्थी माध्यमिक विद्यालय में प्रवेश नहीं ले सकता। उसके बाद इसी प्रकार माध्यमिक विद्यालय में पढ़कर उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रवेश लेता है। आगे उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़कर महाविद्यालय/विश्वविद्यालय में प्रवेश करता है। इसी प्रकार खेलों में भी जो खिलाड़ी स्थानीय स्तर के खेल में अच्छा प्रदर्शन करता है उसे क्रमशः जिला, प्रान्त, राष्ट्र स्तर पर खेलने का अवसर प्राप्त होता है। जो खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर के खेलों में वरीयता प्राप्त कर लेता है वही विश्व स्तरीय एशियाड/ओलम्पिक आदि खेलों में भाग लेने के योग्य होता है। इसी प्रकार की चयन प्रणाली ही संसार की सबसे शुद्धतम, पारदर्शी, सस्ती, सरल, तर्कसंगत, अल्पकालिक, व्यवहारिक, बुद्धि के अनुकूल और पूर्ण वैज्ञानिक है। यह चयन प्रणाली ही लोकतंत्र स्थापित करने का एकमात्र उपाय है। अन्य कोई उपाय न था, न है और न कोई होगा।

आदर्श नगर, अजमेर (राजस्थान)